भारतीय बैंकिंग व्यवस्था : एक परिचय

भारत में एक और संगठित तथा आधुनिक बैंकिंग संगठन तथा दूसरी ओर असंगठित बैंकिंग क्षेत्र का सह–अस्तित्व पाया जाता है। भारत में बैंकिंग संगठन की संरचना को निम्नलिखित तालिका के द्वारा समझा जा सकता है–

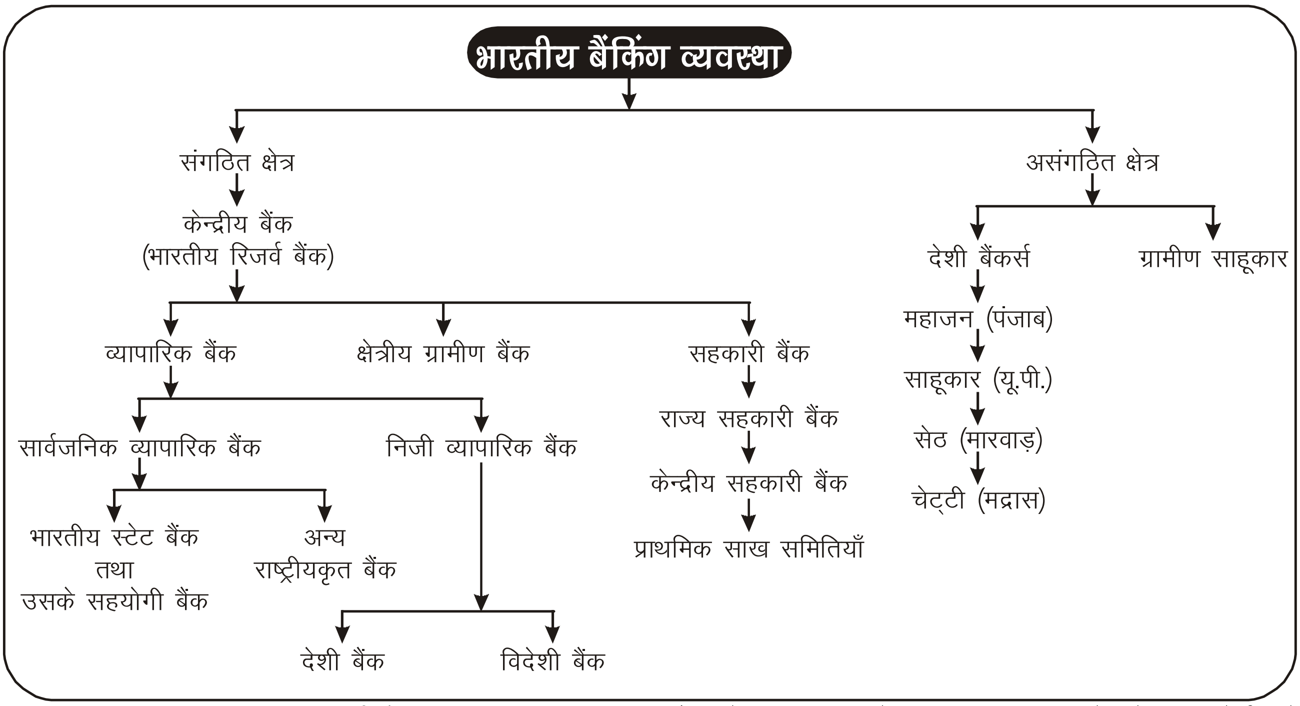

भारतीय रिजर्व बैंक
(Reserve Bank Of India)

हिल्टन यंग आयोग ने भारत में 1926 ई. में प्रचलित मौद्रिक एवं साख प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना हेतु एक बिल 1927 ई. में विधान सभा में प्रस्तुत किया, जो दुर्भाग्यवश पारित नहीं हो सका। पुनः 1930 ई. में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की, जिसके आधार पर 8 सितम्बर, 1933 को विधान सभा में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे विधान सभा ने पारित कर दिया। इस विधेयक पर 6 मार्च, 1934 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् 1 अप्रैल, 1935 को 5 करोड़ रुपए की अंश पूँजी के साथ (100 रुपये के पूर्णतया प्राप्त अंशों के साथ) इसकी स्थापना की गई।

प्रारम्भ में यह बैंक अंशधारियों के बैंक के रूप में कार्य करता था, जिसकी लगभग सारी पूंजी निजी अंशधारियों की थी। 2,22,000 रुपये के अंश ही सरकार के पास थे। इस रूप में बैंक ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक काम किया, परन्तु 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तब से यह केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है।

रिजर्व बैंक का प्रबन्धन

रिजर्व बैंक का प्रबन्ध और संचालन एक बीस सदस्यीय केन्द्रीय निदेशक बोर्ड करता है, जिसमें एक गवर्नर, चार उप–गवर्नर, भारत सरकार केवित्त मंत्रालय का एक अधिकारी व सरकार द्वारा मनोनीत दस निदेशक जो देश के आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चार स्थानीय बोर्डों का प्रतिनिधत्व करने वाले चार निदेशक (केन्द्र सरकार द्वारा ही मनोनित) होते हैं।

मुम्बई स्थित प्रधान कार्यालय के अलावा रिजर्व बैंक के चार स्थानीय बोर्ड मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई में हैं, जो स्थानीय मुद्दों का अध्ययन करके केन्द्रीय बोर्ड को परामर्श देते हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्य होते हैं।

बैंक के प्रचलन तथा बैंकिंग विभाग मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, बायखला (मुम्बई), बंगलौर, नागपुर तथा कानपुर में स्थित हैं। इसका एक कार्यालय लन्दन में भी है।

रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य

भारत का केन्द्रीय बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक के कार्य अत्यन्त विस्तृत हैं, जिन्हें दो वर्गों में बाँटा जा सकता है–

(A) सामान्य केन्द्रीय बैंकिंग कार्य : इसवर्ग के अन्तर्गत निम्न कार्यों का सम्पादन रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है–

1. करेन्सी नोटों का निर्गमन
2. सरकारी बैंकर का काम करना
3. बैंकों के बैंक का कार्य करना
4. विदेशी विनिमय का नियंत्रण
5. साख नियंत्रण (Credit Control)
6. कृषि वित्त की व्यवस्था करना

(B) विकास सम्बन्धी एवं प्रवतन कार्य : रिजर्व बैंक भारत के विकास और प्रवर्तन सम्बन्धी अनेक कार्यों को सम्पादित करने में लगा हुआ है, उदाहरणार्थ ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की नवीन शाखाएँ खुलवाना, लोगों में बचत की आदत डलवाना, उन्हें ग्रामीण साहूकारों व सूदखोरों के चंगुल से आजाद कराना, कृषि हेतु संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना आदि। बैंकों के जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1962 ई. में 'जीवन बीमा निगम' की तथा बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु 1964 ई. में 'यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई। कृषि के विकास हेतु सहकारी समितियों के विकास को प्रोत्साहित करने में रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार औद्योगिक विकास हेतु भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्त निगमों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि की स्थापना की गई। इन सभी विकास कार्यों में रिजर्व बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

R.B.I. के प्रमुख कार्य :

(1) पत्र मुद्रा का निर्गमन : 2 रु. से लेकर 1 हजार तक के मुख्य सभी नोट जारी करने का कार्य RBI करता है। प्रारम्भ में नोट जारी करने की प्रणाली अनुपातिक कोष प्रणाली थी अर्थात् 60% मूल्य सरकारी प्रतिभूती या रुपये में तथा 40% सोने व विदेशी प्रतिभूती में। अक्तूबर 1956 से न्यूनतम् कोष प्रणाली अपनाई गई। इसके अन्तर्गत 515 करोड़ की प्रतिभूति न्यूनतम् रूप से रखना होगा जिसमें 400 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा 115 करोड़ का स्वर्ण रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यही प्रणाली प्रचलित है।

(2) बैंकों का बैंक : यह सभी प्रकार के बैंकों पर नियन्त्रण करता है और इन्हें अन्तिम रूप से ऋण भी प्रदान करता है।

(3) सरकार का बैंक : यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा केन्द्र को अल्पकालीन ऋण भी उपलब्ध कराता है।

विदेशी विनिमय कोष का प्रबन्ध भी करता है। यह केन्द्रीय बैंक के सभी विदेशी लेन–देन को भी नियमित करता है अर्थात विदेशी ऋण के सम्बन्ध में सरकार के प्रतिनिधि का रूप में कार्य करता है।

(4) साख नियंत्रक (Credit Control) :

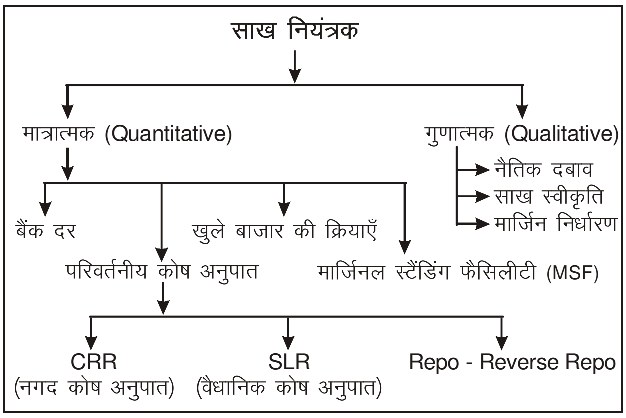

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी या मुद्रा स्फीति को दूर करने के लिए साख नियंत्रण की क्रिया अपनाती है इसे ही साख नियंत्रण के मौद्रिक उपाय भी कहते हैं–

परिमाणात्मक उपाय :

(1) बैंक दर : बैंक दर वह दर है जिस दर पर केन्द्रीय बैंक व्यवसायिक बैंकों को उधार या ऋण देता है। इसी को बिलों की पूनरकटौती भी कहते हैं। इसकी वर्तमान दर 6% हैं मुद्रा स्फीति के दिनों में इसे बढत्रा दिया जाता है तो मंदी के दौर में इसे घटा दिया जाता है।

(2) खुले बाजार की क्रियाएँ : RBI इसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों में व्यापार करती हैं अर्थात् जब मुद्रा स्फीति की स्थिति होगी तब वह प्रतिभूतियों को बेचेगी। इसके विपरीत मंदी के दिनों में प्रतिभूतियों को खरीद लेती है।

(3) परिवर्तनीय कोष अनुपात : साख नियंत्रण के सर्वाधिक उपर्युक्त उपाय इसी में शामिल है।

(i) CRR : RBI के नियमानुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रारम्भिक जमा का 3 से 15% तक RBI के पास रखता है। RBI अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार इसे घटा–बढ़ा सकती है। वर्तमान में इसकी दर 6% है।

(ii) SLR : (Statury Liquidity Ratio) : RBI के नियमानुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रारम्भिक जमा का 25–35% तक अपने पास रख सकता है। जिसे RBI आवश्यकतानुसार बदलती रहती है। वर्तमान में इसकी दर 25% है।

नोट : 2008 में इसकी न्यूनतम सीमा भी समापत कर दी गई और इसे घटा कर 24% कर दिया गया है।

अल्प कालिक ऋण के उपाय :

(1) Repo (Re Purchase Option) : जब भारत सरकार अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण लोगों को देती है तो इसे **Repo** कहा जाता है। इससे तरलता में वृद्धि होती है।

(2) Reverse Repo : जब अर्थव्यवस्था से मुद्रा स्फीति को कम करनी होती है तब वह इसका उपयोग करती है। दोनों की दरें क्रमशः 6 और 5% है।

भारतीय रुपया : भारतीय रुपया दशमलव प्रणाली पर आधारित है। 1957 से पूर्ण रुपया एकन्नी, दूअन्नी, चवन्नी के अनुपात में बँटा होता था। 1957–64 के बीच नए पैसे में बदल गया। 1964 के पश्चात नया पैसा–पैसे में बदल गया। 1 रुपए की नोट पित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इस पर वित्त सचीव के हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में इसे बन्द कर दिया गया है।

भारतीय वाणिज्यिक बैंक
(Indian Commercial Banks)

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में बैंकिंग प्रणाली की नींव डाली। भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' था, जिसका प्रबन्धन ब्रिटिश हाथों में था। प्रथम पूर्णतया भारतीय मिश्रित बैंक 'अवध वाणिज्यिक बैंक' था, जिसकी स्थापना 1881 ई. में हुई थी। 1894 ई. में 'पंजाब नेशनल बैंक' और 1901 ई. में 'पीपुल्स बैंक' की स्थापना हुई। 1913 ई. तक 5 लाख रुपये या इससे अधिक पूँजी वाले बैंकों की संख्या सिर्फ 18 थी। 1921 ई. में वर्तमान तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का विलय करके 'इम्पीरियल बैंक' की स्थापना की गई। स्वतंत्रता पूर्व बैंकिंग व्यवस्था में काफी अस्थायित्व था और अनेक बैंक असफल हो गये थे, जैसे– बैंक ऑफ अपर इंडिया, एलायंस बैंक ऑफ शिमला, ट्रवनकोर नेशनल और क्वीनल बैंक आदि।

भारत में वाणिज्यिक बैंकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है– 1. अनुसूचित बैंक और 2. गैर–अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे हैं, जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में उन्हीं बैंकों के नाम पंजीकृत होते हैं,जिनकी चुकता पूंजी और कुल जमा मिलाकर पाँच लाख रुपये से अधिक है। इन बैंकों को अपनी कुल माँग देयताओं तथा सावधि देयताओं का 3% भाग रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को इस नकद कोष को 15% तक करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही, ये बैंक अपना लेखा–जोखा हर सप्ताह रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

पाँच लाख से कम चुकता पूंजी और जमा रखने वाले बैंक गैर–अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक का कोई महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं होता। इन बैंकों को अपना लेखा–जोखा प्रत्येक महा रिजर्व बैंक के सामने प्रस्तुत करना होता है। इन्हें भी अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है।

भारतीय स्टेट बैंक

पूर्व नाम : बैंक ऑफ कलकत्ता (1806 ई.), बैंक ऑफ बंगाल (1809 ई.) और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (1921 ई.)।

स्थापना वर्ष : 1806 ई.।

संस्थापक : बंगाल सरकार।

राष्ट्रीयकरण : 1955 ई.।

प्रधान कार्यालय : मुंबई (महाराष्ट्र)।

हिस्सेदारी : 59.73% (आर. बी. आई.)।

परिसंपत्ति : 4812 करोड़ रुपये।

1 जनवरी, 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ ही 'बैंकिंग नियमन अधिनियम' पारित किया गया, जिसके द्वाराभारतीय रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण रखने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया। यद्यपि ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति (1950 ई.) इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी, पर अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति (1952 ई.) ने इम्पीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य–सम्बद्ध बैंकों को मिलाकर 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' की स्थापना की संस्तुति की। फलस्वरूप 1 जुलाई, 1955 से इम्पीरियल बैंक की सभी सम्पत्तियों तथा देनदारियों को अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया।

सार्वजनिक क्षेत्र में दो प्रकार की बैंक कार्यरत् हैं– 1. भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा 2. अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकें। व्यापारिक बैंक वर्ग के अनतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष स्थान की बैंक है। जून, 2006 के अन्त में स्टेट बैंक समूह की 13501 शाखाएँ कार्य कर रहीं थी। वर्तमान समय में 'भारतीय स्टेट बैंक' समूह की 15000 से भी अधिक शाखा हो चुके हैं। अभी एस.बी.आई. देश का सबसे बड़ा बैंक तथा शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक है।

SBI के राष्ट्रीयकरण के बाद 1959 ई. में इसके साथ अन्य 8 बैंकों (वर्तमान में केवल 5) को SBI के सहायक बैंक (Associate Bank) के रूप में बदल दिया गया था और इसे 'स्टेट बैंक समूह' (State Bank Group) का नाम दिया गया। 24 जुलाई, 2008 को स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एवं 26 अगस्त, 2010 को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के सहायक (स्टेट बैंक एसोसिएट्स) पाँच बैंक निम्नलिखित हैं–

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर

पूर्व नाम : द गोविंद बैंक प्राइवेट लिमिटेड।
राष्ट्रीयकरण : 1959 ई.।
प्रधान कार्यालय : जयपुर (राजस्थान)।
हिस्सेदारी : 75% (एस.बी.आई.)।

नोट : 1955 ई. में बीकानेर और जयपुर के अलग–अलग स्टेट बैंक थे, जिन्हें बाद में मिलाकर एक कर दिया गया।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

पूर्व नाम : हैदराबाद स्टेट बैंक।
स्थापना वर्ष : 1941 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 1959 ई.।
प्रधान कार्यालय : हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।
हिस्सेदारी : 100% (एस.बी.आई.)।

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

पूर्व नाम : बैंक ऑफ मैसूर लिमिटेड।
स्थापना वर्ष : 1913 ई.।
संस्थापक : एम. विश्वेश्वरैया।
राष्ट्रीयकरण : 1959 ई.।
प्रधान कार्यालय : बंगलौर (कर्नाटक)।
हिस्सेदारी : 92.33% (एस.बी.आई.)।

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

पूर्व नाम : पटियाला स्टेट बैंक।
स्थापना वर्ष : 1917 ई.।
संस्थापक : महाराजा भूपिंदर सिंह।
राष्ट्रीयकरण : 1959 ई.।
प्रधान कार्यालय : पटियाला (पंजाब)।
हिस्सेदारी : 100% (एस.बी.आई.)।

स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर

पूर्व नाम : ट्रेवेनकोर बैंक लिमिटेड।
स्थापना वर्ष : 1945 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 1959 ई.।
प्रधान कार्यालय : त्रिवेंद्रम (केरल)।
हिस्सेदारी : 75% (एस.बी.आई.)।

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक

इलाहाबाद बैंक

स्थापना वर्ष : 1865 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।
हिस्सेदारी : 55.23% (केन्द्र सरकार)।

आंध्रा बैंक

स्थापना वर्ष : 1923 ई.।
संस्थापक : डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया।
राष्ट्रीयकरण : 15 अप्रैल, 1980।
प्रधान कार्यालय : हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
हिस्सेदारी : 62.50% (केंद्र सरकार)
परिसंपत्ति : 48 करोड़ रुपये।

बैंक ऑफ बड़ौदा

स्थापना वर्ष : 15 जुलाई, 1908 ई.।
संस्थापक : महाराजा सयाजीराव–III
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : मुम्बई (महाराष्ट्र)।
हिस्सेदारी : 66.83% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 619 करोड़ रुपये।

बैंक ऑफ इंडिया

स्थापना वर्ष : 1906 ई.।
संस्थापक : मुंबई के व्यापारियों का समूह।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : मुंबई (महाराष्ट्र)।
हिस्सेदारी : 69.47% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 1554 करोड़ रुपये।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

स्थापना वर्ष : 1935 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : पुणे (महाराष्ट्र)।
हिस्सेदारी : 76.77% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 280 करोड़ रुपये।

केनरा बैंक

पूर्व नाम : केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड।
स्थापना वर्ष : 1906 ई.।
संस्थापक : ए. सुब्बाराव पाई।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : बंगलौर (कर्नाटक)।
हिस्सेदारी : 73.17% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 1125 करोड़ रुपये।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थापना वर्ष : 1911 ई.।
संस्थापक : सोराब्जी पोच्खानवाला।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : मुंबई (महाराष्ट्र)।
परिसंपत्ति : 814 करोड़ रुपये।

कॉर्पोरेशन बैंक

स्थापना वर्ष : 1906 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 15 अप्रैल, 1980।
प्रधान कार्यालय : मंगलौर (कर्नाटक)।
हिस्सेदारी : 57.17% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 206.8 करोड़ रुपये।

देना बैंक

पूर्व नाम : देवकरण नान्जी बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड।
स्थापना वर्ष : 1938 ई.।
संस्थापक : प्राण लाल देवकरण नान्जी।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : मुंबई (महाराष्ट्र)।
हिस्सेदारी : 51.19% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 591 करोड़ रुपये।

इंडियन बैंक

स्थापना वर्ष : 1907 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : चेन्नई (तमिलनाडु)।
परिसंपत्ति : 418 करोड़ रुपये।

इंडियन ओवरसीज बैंक

स्थापना वर्ष : 1937 ई.।
संस्थापक : एम. चिदंबरम् चेत्तियार।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : चेन्नई (तमिलनाडु)।
हिस्सेदारी : 75% (भारत सरकार)।
परिसंपत्ति : 319 करोड़ रुपये।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

स्थापना वर्ष : 1943 ई. (लाहौर)।
संस्थापक : रामबहादुर लाला सोहन लाल।
राष्ट्रीयकरण : 15 अप्रैल, 1980।
प्रधान कार्यालय : कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
हिस्सेदारी : 66.5% (भारत सरकार)।
परिसंपत्ति : 327 करोड़ रुपये।

पंजाब एंड सिंध बैंक

स्थापना वर्ष : 1908 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 15 अप्रैल, 1980।
प्रधान कार्यालय : राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली।

पंजाब नेशनल बैंक

स्थापना वर्ष : 1895 ई. (लाहौर)।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
हिस्सेदारी : 57.79% (भारत सरकार)।
परिसंपत्ति : 119 करोड़ रुपये।

सिंडिकेट बैंक

स्थापना वर्ष : 1925 ई.।
संस्थापक : यू.एस. पाई, वमन कुवा एवं टी.एम.ए. पाई।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : मणिपाल (कर्नाटक)।
हिस्सेदारी : 73.52% (भारत सरकार)।
परिसंपत्ति : 425 करोड़ रुपये।

यूको बैंक

पूर्व नाम : यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड।
स्थापना वर्ष : 1943 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।
हिस्सेदारी : 74.98% (भारत सरकार)।
परिसंपत्ति : 810 करोड़ रुपये।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थापना वर्ष : 1919 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : मुंबई (महाराष्ट्र)।
हिस्सेदारी : 60.85% (केंद्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 1375 करोड़ रुपये।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

पूर्व नाम : यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड।
स्थापना वर्ष : 1950 ई.।
राष्ट्रीयकरण : 19 जुलाई, 1969।
प्रधान कार्यालय : कोलकाता (प. बंगाल)।
परिसंपत्ति : 277 करोड़ रुपये।

विजया बैंक

स्थापना वर्ष : 1931 ई.।
संस्थापक : ए. बी. शेट्टी।
राष्ट्रीयकरण : 15 अप्रैल, 1980 ई.।
प्रधान कार्यालय : बंगलौर (कर्नाटक)।
हिस्सेदारी : 53.87% (केन्द्र सरकार)।
परिसंपत्ति : 77.5 करोड़ रुपये।

वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण

पहले निजी बैंकें अपने धन की सुरक्षा और लाभ की दृष्टि से केवल बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही ऋण दिया करती थीं। भारत की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से एवं देश की गरीबी दूर करने के विचार से यह आवश्यक समझा गया कि कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता दी जाए। अतः बैंकों की ऋण नीति में परिवर्तन आवश्यक था। यह सोचा गया कि कमजोर वर्गों को बिना प्रतिभूति के ऋण देने की व्यवस्था की जाए। निजी क्षेत्र में ऐसा करना सम्भव नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया था।

इसी से सम्बद्ध अन्य उद्देश्य भी थे, जैसे– बैंकों की शाखाएँ प्रायः शहरी क्षेत्रों में ही थीं। गाँवों और कस्बों में बैंकों की शाखाएँ स्थापित करना आवश्यक था, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से धनराशि एकत्र करने के लिए तथा बैंकों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उनको ग्रामीण जनता के निकट ले जाना आवश्यक था। यह निजी क्षेत्र में सम्भव नहीं था।

बैंकें कम–से–कम जोखिम का काम करती थीं। इस कारण कृषि एवं लघु उद्योगों की सहायता करने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण आवश्यक हो गया था। बैंकों पर पूँजीपतियों का प्रभाव था, वे बैंकों के द्वारा अनुचित रूप से लाभान्वित हो रहे थे और सामान्य जनोपयोगी हितों की अपेक्षा हो रही थी।

अतः बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों, जिनकी जमाएँ 50 करोड़ रुपये से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बैंक निम्नलिखित थे–

	बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय
1.	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	मुम्बई
2.	पंजाब नेशनल बैंक	नई दिल्ली
3.	बैंक ऑफ इण्डिया	मुम्बई
4.	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक	कोलकाता
5.	सिण्डीकेट बैंक	मणिपाल
6.	केनरा बैंक	बंगलौर
7.	बैंक ऑफ बड़ौदा	मुम्बई
8.	देना बैंक	मुम्बई
9.	इलाहाबाद बैंक	कोलकाता
10.	इण्डियन बैंक	चेन्नई
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	चेन्नई
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	पुणे
13.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	कोलकाता
14.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	मुम्बई

नये बीस–सूत्रीय कार्यक्रम को गति देने के लिए तथा प्राथमिक क्षेत्र (Priority Sector) को ऋण देने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता थी। अतः पुनः 15 अप्रैल, 1980 को सरकार ने 6 बड़े व्यापारिक बैंकों, जिनकी जमाएँ 200 करोड़ रुपये से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देने से सरकार को 945 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल उपलब्ध हो गई। इसके साथ ही यह बात भीसामने थी कि सरकार बैंक की ऋण–नीति पर अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण कर सकेगी। ये नये राष्ट्रीयकृत बैंक थे–

	बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय
1.	आन्ध्र बैंक	हैदराबाद
2.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	नई दिल्ली
3.	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	नई दिल्ली
4.	विजया बैंक	बंगलौर
5.	कॉर्पोरेशन बैंक	मंगलौर
6.	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	....

नोट : वर्तमान में राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों की कुल संख्या 20 से घटकर 19 रह गई है, क्योंकि 4 सितम्बर, 1993 को सरकार ने 'न्यू बैंक ऑफ इण्डिया' का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया है।

11 अक्टूबर, 2004 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) का राष्ट्रीयकरण कर देने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पुनः वर्तमान में 20 हो गई है।

निजी बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय

क्र.	निजी क्षेत्र के बैंक	जिसमें विलय किया गया
1.	बैंक ऑफ कोचीन	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
2.	लक्ष्मी कॉमर्शियल बैंक	केनरा बैंक
3.	बैंक ऑफ बिहार	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
4.	हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
5.	मिराज स्टेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
6.	ट्रेडर्स बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
7.	बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
8.	बैंक ऑफ तमिलनाडु	इण्डियन ओवरसीज बैंक
9.	तंजावुर बैंक	इण्डियन बैंक
10.	पारूल सेंट्रल बैंक	बैंक ऑफ इण्डिया
11.	यूनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक	इलाहाबाद बैंक
12.	पूर्वांचल बैंक	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
13.	बैंक ऑफ करड़	बैंक ऑफ इण्डिया
14.	बरेली कॉरपोरेशन बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
15.	सिक्किम बैंक	यूनियन बैंक ऑफ कॉमर्स
16.	बनारस स्टेट बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
17.	पंजाब कोऑपरेटिव बैंक	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
18.	दोआब बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
19.	नेदुनगड़ी बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
20.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(Regional Rural Banks)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी वाणिज्यिक बैंकों की पहुँच ग्रामीण स्तर तक नहीं हो पायी। ग्रामीण क्षेत्र बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ही रहे। विशेषकर कृषि क्षेत्र को बैंको का बहुत कम लाभ प्राप्त हुआ। कृषि एवं ग्रामीण कारीगरों को आर्थिक सहायता पहुँचाने तथा उनकीबचतों को उपयुक्त आधार देने के उद्देश्य से आर. जी. सुरैया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसने जनवरी, 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आयोग ने ग्रामीण बैंक की संकल्पना प्रस्तुत की। फलस्वरूप भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देशभर में 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' (RRB) की घोषणा की। देश में 2 अक्टूबर, 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये–

1. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) – सिण्डीकेट बैंक
2. गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) – स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3. भिवानी (हरियाणा) – पंजाब नेशनल बैंक
4. जयपुर (राजस्थान) – यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक
5. माल्दा (पश्चिम बंगाल) – यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 1 करोड़ रुपये और जारी और चुकता पूँजी (Issued and Paid up Capital) 25 लाख रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हिस्सा पूँजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा लीड बैंक द्वारा 35% का योगदान दिया जाता है।

इन बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी साख सुविधा का 75% ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों को उपलब्ध करायी जाती है। 1 जून, 1996 तक देश में इन बैंकों की 19516 शाखाएँ थी तथा देश के 389 जिलों में इनका फैलाव है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कार्यरत् हैं। अभी देश में कुल 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इन बैंकों ने 7500 करोड़ रुपये वार्षिक साख सुविधा उपलब्ध कराये हैं।

सहकारी ऋण समितियाँ : सहकारी वित्त प्रबंध ग्राम ऋण का सबसे सस्ता और उत्तम स्रोत है। इसमें किसानों के शोषण का भय नहीं रहता। इसके द्वारा अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। इन समितियों द्वारा 1981 ई. में कृषि क्षेत्र में कुल आवश्यकता का 33% ऋण जुटाया गया, जबकि 1951–52 में यह अनुपात केवल 3% था। ये समितियाँ 86 प्रतिशत गाँवों में फैली हुई हैं।

देशी बैंकर : ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में दो प्रकार के देशी बैंकर होते हैं। प्रथम प्रकार के बैंकर, बैंकिंग कार्य करने के साथ–साथ कृषि, व्यापार तथा अन्य कार्य भी करते हैं। दूसरी श्रेणी में वे बैंकर हैं, जिनका बैंकिंग व्यवसाय ही मुख्य पेशा है। इनके ऋण देने की प्रणाली अत्यंत सरल है, ये उत्पादक और अनुत्पादक दोनां प्रकार के ऋण देते हैं। इनका अपने ग्राहकों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध होता है। इसमें सामान्यतः ब्याज की दर अपेक्षतः अधिक होता है। 1951–52 में जहाँ इनके द्वारा कुल ग्रामीण ऋण का 70 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता था, वहीं वर्ष 1991 तक इनका भाग गिरकर 17.6% हो गया।

व्यवसायिक बैंक : भारत का पहला बैंक जो भारतीयों द्वारा संचालित था। 1881 में अवध कामर्शियल बैंक के नाम से खोला गया। यह भारतीयों के प्रति सीमित दायित्व काा बैंक था। जबकि पूर्णता भारतीयों द्वारा संचालित बैंक पंजाब नेशनल बैंक (1894) था।

भारत के व्यवसायिक बैंक : व्यावसायिक बैंक वे बैंक हैं जो जनता से बचत को जमा के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करता है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। ये व्यवसायिक बैंक 3 रूपों में खाता खोल करके जनता की बचत को स्वीकारते हैं।

(1) चालू खाता : इसके अन्तर्गत ये जमा पर कोई ब्याज नहीं देते हैं बचत खाता धारक प्रतिदिन अपनी आवश्यकतानुसार कई बार लेन–देन कर सकता है। बैंक इस पर सुविधा चार्ज लगा सकता है।

(2) बचत खाता : खाता धारक सप्ताह में 2 से 3 बार तक ही पैसे निकाल सकता है तथा जमा कई बार कर सकता है। इस शर्त के पालनकर्ता को बैंक 3.5% तब वार्षिक ब्याज देती है।

(3) मियादी खाता (Time Deposit) : इसको Fix Deposit भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत खात धारक अपनी धनराशि को स्वेच्छानुसार निश्चित अवधि के लिए कर देता है। जिस पर समयानुसार निश्चित ब्याज दर मिलती है।

व्यापारिक बैंक : व्यावसायिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक SBI हैं इसकी स्थापना अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (1952) जिसे मोखाला समिति भी कहते हैं। इसने इम्पीरियल बैंक को राष्ट्रीयकृत करने का सुझाव दिया था। इसी के आधार पर 1 जुलाई, 1955 में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रयकरण करके इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया।

नाबार्ड NABARD (National Bank of Agriculture and Rural Development) : स्थापना : 12 जुलाई, 1982 में की गई यह बैंक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है और RBI के नियंत्रण में कार्य करता है।

शाखा बैंकिंग : एकाकी स्वामित्व एवं संस्था के अन्तर्गत दो या दो से अधिक बैंकिंग शाखाएं इसके अन्दर कार्य करती हैं। शाखा बैंक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा इण्डिया में प्रचलित हैं।

इकाई बैंक : एक कार्यालय में स्थित बैंकिंग प्रणाली है यह U.S.A. में प्रचलित है।

सर्व व्यापी बैंकिंग : जब वाणिज्यिक बैंक सामान्य बैंकिंग क्रियाओं के साथ–साथ औद्योगिक ईकाईयों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए तब इस प्रकार के बैंक को सर्वव्यापी बैंक कहते हैं।

कोर बैंकिंग (CORE BANKING) : जब कुछ बैंकों की सेवाएँ आपस में नेट के माध्यम से जुडत्र कर एक हो जाती हैं इसी को इंटरनेट बैंक या E-Banking भी कहते हैं। इसके अनतर्गत किसी अन्य बैंक का ग्राहक अन्य में फण्ड को जमा कर या निकला सकता है।

Free Banking : एक ऐसी व्यवस्था जिसमें नोट निर्गमन का कार्य केन्द्रीय बैंक के पास नहीं होता है बल्कि सभी बैंकों को इसका अधिकार प्राप्त होता है।

नोट : स्टेट बैंक समूह की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई क्योंकि State Bank of Indore का विलय भारतीय SB में कर दिया गया इसके पहले सौराष्ट्र बैंक का विलय SBI में कर दिया गया।

Credit Card & Debit Card : Credit Card उधार देने का एक नया तरीका है। इसकी शुरुआत 1920 में U.S.A. में की गई थी। इसमें ब्याज दर सामान्य ब्याज दर से काफी ऊँचा होता है क्योंकि Credit Card बिना किसी प्रतिभूति के ऋण उपलब्ध कराती है।

Debit Card का सबसे अच्छा उदाहरण ATM (Automated Tailer Machine) है।

बैंकिंग क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख समीतियाँ :

1. नरसिंम्हन समीति : 17 अगस्त, 1991 में स्थापित की गई इसका उद्देश्य बैंकिंग ढाँचा में परिवर्तन करना।
2. द्वितीय नरसिम्हन समिति : जुलाई, 1998 में गठित की गई थी जो बैंकों के कार्य दिवसों में वृद्धि हेतु सुझाव दे।
3. गोड़परिया समिति : इसके अध्यक्ष M. N. गोइपरिया थे इसकी स्थापना 1990 में की गई इसका उद्देश्य ग्राहक सेवा सुधार था।

अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ :

बैंक का नाम	स्थापना वर्ष	उद्देश्य/प्रमुख कार्य
भारतीय औद्योगिक ऋण व विनियोग निगम (ICICI)	जनवरी, 1955	औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहन देना एवं सहायता करना।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)	जुलाई, 1964	दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त प्रदान करना।
राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)	जुलाई, 1982	ग्रामीण साख प्रदान करने वाला शीर्ष बैंक।
भारतीय निर्यात–आयात बैंक (EXIM BANK)	जनवरी, 1982	विदेश व्यापार से सम्बद्ध कम्पनियों को वित्तीय सहायता व सुविधाएँ प्रदान करना।
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI)	मार्च, 1985	बीमार औद्योगिक इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए वित्त मुहैया करना।
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)	मार्च, 1988	आवास बनाने एवं सम्पत्ति के विकास के लिए वित्त प्रदान करना, गंदी बस्तियों का पुनर्विकास आदि।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	अप्रैल, 1990	लघु क्षेत्र के उद्योगों का विकास व सम्वर्द्धन।

व्यापारिक बैंकों की शाखाएं (30 जून, 2009 की स्थिति) :

बैंकों के नाम	कुल बैंक शाखाएं	कुल में ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा सहयोगी बैंक	16294	34.49
राष्ट्रीयकृत बैंक	39703	33.81
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	15199	76.61
कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	71196	43.1
अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक	8979	12.54
विदेशी बैंक	295	1.36
समस्त अनुसूचित बैंक	80470	39.54
गैर–अनुसूचित बैंक	44	25.00
समस्त व्यापारिक बैंक	80514	39.53

राष्ट्रीयकृत बैंक एवं उनके विज्ञापन स्लॉगन

बैंक	विज्ञापन स्लॉगन
➢ इलाहाबाद बैंक	– "A Tradition of Trust"
➢ आन्ध्रा बैंक	– "For all your needs"
➢ बैंक ऑफ बड़ौदा	– "India's International bank"
➢ बैंक ऑफ इण्डिया	– "Relationship beyond banking"
➢ बैंक ऑफ महाराष्ट्र	– "One family one bank"
➢ केनरा बैंक	– "Together we can"
➢ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	– "Build a better life around us"
➢ कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इण्डिया	– "A premier Government of India Enterprise"
➢ देना बैंक	– "Trusted family Bank"
➢ IDBI बैंक	– "Banking for all"
➢ इण्डियन बैंक	– "Taking banking Technology to the comman man"
➢ इण्डियन ओवरसीज बैंक	– "Good People to grow with"
➢ ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	– "Where every Individual is committed"
➢ पंजाब नेशनल बैंक	– "The name your Bank upon"
➢ पंजाब एण्ड सिंध बैंक	– Where service is a way of" – जहाँ सेवा ही जीवन ध्येय है।
➢ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	– "Pure Banking Nothing else"
➢ सिंडिकेट बैंक	– "Your faithful & friendly financial partner"
➢ यूको बैंक	– "Honours your Trust"
➢ यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	– "The Bank that begins with u"
➢ यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	– "Good people to Bank with"
➢ विजया बैंक	– "A friend you can bank on"

प्रमुख बैंकिंग समितियाँ

समिति		क्षेत्र
➢ नरसिम्हन समिति	–	बैंकिंग सुधार
➢ चेलैया समिति	–	कर सुधार
➢ रंगराजन समिति	–	भुगतान संतुलन
➢ जानकीरमन् समिति	–	प्रतिभूति घोटाला
➢ महालनोबिस समिति	–	राष्ट्रीय आय
➢ मलहोत्रा समिति	–	बीमा सुधार
➢ भंडारी समिति	–	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुधार
➢ आबिद हुसैन समिति	–	लघु उद्योग

बैंकिंग एवं पूँजी बाजार :

- भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि. (Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.) का नाम बदलकर सितम्बर, 1998 में ICICI Ltd. कर दिया गया था।
- भारतीय मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का शीर्ष स्थान है।
- **मुद्रा बाजार** अल्पकालिक साख उपलब्ध कराने वाले संगठन को कहा जाता है, जबकि **पूँजी बाजार** का कार्य दीर्घकालिक साख उपलबध कराना है।
- देश में **औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** (Industrial Development Bank of India–IDBI) है। इसकी स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। लघु औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना के पश्चात् यह अब केवल बड़ी व मझोली औद्योगिक इकाइयों के लिए ही वित्त एवं पुनर्वित्त (Re-finance) की व्यवस्था करता है।
- लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से 2 अप्रैल, 1990 को **भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक** (Small industrial Development Bank of India–SIDBI) की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है।
- **भारती औद्योगिक पुर्निर्माण बैंक** (Industrial Reconstruction Bank of India–IRBI) की स्थापना 20 मार्च, 1985 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रुग्ण तथा बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। इस बैंक का मुखलय कोलकाता में है।
- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (UTI), जीवन बीमा निगम (LIC) तथा सामान्य बीमा निगम (GIC) भी उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराते हैं।
- **भारतीय यूनिट ट्रस्ट** (UTI) की स्थापना 1964 में लोगों की लघु बचतें एकत्रित करके उनके उचित एवं लाभदायक विनियोजन के उद्देश्य से की गई थी।
- भारत में सामान्य बीमा (General Insurance) व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण 1971 में किया गया तथा **भारतीय सामान्य बीमा निगम** (General Insurance Corporation of India) की स्थापना नवम्बर 1972 में की गई थी।
- भारतीय सामान्य बीमा निगम के अन्तर्गत 4 सहायक कम्पनियाँ कार्यरत हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं– (1) नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लि., (2) न्यू इण्डिया एंश्योरेन्स कम्पनी लि., (3) ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. तथा (4) यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि.।
- **IRDA** Insurance Regulatory and Development Authority : बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन 19 अप्रैल, 2000 में किया गया यह बीमा कम्पनियाँ एवं बीमा धारकों के हित से सम्बन्धित कार्यवाही करती हैं। इसकी स्थापना के बाद बीमा कार्य निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया।
- **भारतीय जीवन बीमा निगम** (Life Insurance Corporation of India) की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी।
- देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु शिखर संस्था **नाबार्ड** (NABARD–National Bank for Agricultural and Rural Development) है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को की गई थी।
- सुविधाजनक शर्तों पर आवास वित्ता उपलबध कराने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय आवास बैंक** (National Housing Bank–NHB) की स्थापना एक शिखर संस्था के रूप में जुलाई 1988 में की गई थी।
- आयात–निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु देश में शिखर संस्था **निर्यात–आयात बैंक** (EXIM Bank) है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, 1982 को की गई थी।
- पर्यटन से सम्बन्धित परियाजनाओं के लिए वित्ता व्यवस्था करने हेतु **भारतीय पर्यटन वित्त निगम** (Tourism Finance Corporation of India–IFCI) की स्थापना 1989 में की गई थी।
- भारत में सहकारी बैंकों का संगठन त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ कार्य करती हैं।
- सहकारी बैंकों में राज्य सहकारी बैंकों को ही रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है।
- सहकारिताओं को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य **आन्ध्र प्रदेश** है।
- RBI ने एक हजार रुपए का नोट 22 वर्षों के अन्तराल के बाद 9 अक्टूबर, 2000 को जारी किया था।
- केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी कुल उधारियों का 5% सूक्ष्म साख के रूप में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **साख नियंत्रण के परिमाणातमक उपायों में** बैंक दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations) तथा परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio–SLR) तथा नकद आरक्षण अनुपात (Cash Reserve Ratio) महत्वपूर्ण है, जबकि मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन, साख का राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियमन, नैतिक दबाव व प्रत्यक्ष कार्यवाही आदि साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय हैं।

- **बैंक दर** वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक, बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती (Rediscount) करता है। भारत में 30 अप्रैल, 2003 से बैंक दर 6.00 प्रतिशत हैं
- खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत देश का केन्द्रीय बैंक मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय खुले बाजार में करता है।
- नरसिंहम समिति ने अपनी सिफारिशों में सांविधिक तरलता अनुपात का उस समय के 38.5 प्रशितात से धीरे–धीरे घटाकर अगले पाँच वर्षों में 25 प्रतिशत तक लाने की संस्तुति की थी।
- देश के वित्तीय ढाँचे में सुधार के लिए सिफारिशें देने हेतु भारत सरकार द्वारा नरसिंहम समिति का गठन 14 अगस्त, 1991 को किया था। इस समिति ने अपनी सिफारिशें 20 नवम्बर, 1991 को प्रस्तुत कर दी थी।
- नरसिंहम समिति की सिफारिशों में देश में बैंकों का ढाँचा चार स्तरीय करने, निजी क्षेत्र में नए बैंक खोलने की अनुमति देने, बैंकों को शाखा विस्तार में स्वतन्त्रता देने, भविष्य में और बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करने, रियायती ब्याज दरों की व्यवस्था समाप्त करने आदि की सिफारिशें शामिल थीं।

बैंकिंग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

पूर्णरूप से पहला भारतीय बैंक	**पंजाब नेशनल बैंक**
भारत का केन्द्रीय बैंक	**रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया**
रिजर्व बैंक के गवर्नर	**डॉ. डी. सुब्बाराव**
देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण	**19 जुलाई, 1969**
छः अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण	**अप्रैल 1980**
वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या	**19**
भारतीय मुद्रा बाजार में शीर्ष स्थान	**रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया**
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI) का स्थापना वर्ष	**1964**
UTI का विभाजन वर्ष (UTI-I एवं UTI-II)	**2003**
नाबार्ड की स्थापना	**12 जुलाई, 1982**
SEBI की स्थापना	**अप्रैल, 1988**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (नवम्बर 2009 तक)	**8.78 करोड़**
सर्वाधिक सकल गैर–निष्पादनीय परिसम्पत्ति (Gross NPAs) वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (मार्च 2007)	**स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (9998 करोड़ रुपए)**
सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित करने वाला राष्ट्रीयकृत बैंक (2008–09)	**PNB (2767 करोड़ रुपए)**
सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (2008–09)	**SBI (8483 करोड़ रु.)**
PPF तथा GPF पर वार्षिक ब्याज	**9.5% (16 सितम्बर, 2010 से)**
EPF पर वार्षिक ब्याज	**9.5%**

पूँजी बाजार

पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। यह दीर्घकालीन कोष का बाजार है। इसमें अंश पत्रों (शेयर) तथा ऋण के माध्यम से पूंजी का लेन–देन किया जाता है। इसके दो भाग है।

1. **प्राथमिक बाजार** (Primary Market) : यह नए निर्गमनों का बाजार है इस बाजार में सभी प्रतिभुतियाँ पहली बार बिकने को आती हैं। उदाहरण– घरेलू कम्पनियों द्वारा निर्गमित (शेयर) अंश पत्र
2. सरकारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा निर्गमित अंश पत्र
3. विदेशी वाणिज्यिक उधार
4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश : जब कोई विदेशी कम्पनी देश के अन्दर उत्पादन हेतु भौतिक सम्पदाओं (भूमि, कारखाने, पूंजीगत वस्तुएँ) में निवेश करे तो इसे FDI कहते हैं। इससे अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा तथा उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी की प्राप्ति हो जाती है।

भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देश

(1) मॉरिशस – 44.24%
(2) U.S.A. – 9.37%
(3) U.K. – 7.98%
(4) नीदरलैण्ड – 5.8% (इसे निचले जमीन का देश)

सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले राज्य

(1) महाराष्ट्र – 22.78%
(2) दिल्ली – 13.07%
(3) तमिलनाडु – 11.03%
(4) कर्नाटक – 9.61%

F.D.I. की सीमा :

(1) भवन निर्माण
(2) रिटेल ट्रेडिंग (खुदरा व्यापार, फुटकर व्यापार)
(3) दवा
(4) विज्ञान व तकनीक
(5) होटल तथा पर्यटन तथा कुरियर सेवाओं में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट है।

विज्ञान व रक्षा के क्षेत्र में 26% FDI छूट है। स्टॉक मार्केट तथा व्यवसायिक बैंकों में 49% की छूट है। F.M. रेडियो में 20% तक की छूट है।

(5) पोर्ट फोलियो निवेश (Port Folio Investment) : जब कोई विदेशी कम्पनी देश के अन्दर प्रत्यक्ष उत्पादन व वितरण का कार्य न करके यहाँ की किसी कम्पनी में शेयर के माध्यम से व्यापार में सम्मिलित हो तो इसे पोर्ट फोलियों निवेश कहते हैं। इसे निवेश सूची भी कहा जाता है।

(6) गैर प्रवासीय भारतीय (NRI) **जमाएँ :**

ADR – American Depositary Received
GDR – Global Depositary Received
IDR – Idian Depositary Received

उपरोक्त तीनों अन्तराष्ट्रीय बाजार से पूंजी उबाही का एक माध्यम है। इसके माध्यम से विभिन्न बाजारों से भारत सरकार पूंजी जुटाती है।

Secondary Market

इस बाजार के अन्तर्गत वही प्रतिभूतियाँ बिकने हेतु आती हैं जो पहले से बिकी हुई होती है। प्रतिभुतियों के विक्रय का माध्यम कानून के अन्तर्गत काम करने वाले रजिस्टर्ड स्टॉक Exchange के माध्यम से होता है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार सार्वजनिक व निजी संस्थाओं और संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के पहले से बिके हुए अंशपत्र या प्रतिभूतियाँ बिकने हेतु आती हैं।

भारतीय पूँजी बाजार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

- **BSE (बाम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज) :** यह एशिया का सबसे पुराना बाजार है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसको 1925 में बाम्बे सिक्योरिटिज कान्टेक्ट एक्ट के तहत मिली थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है।
- **BSE Sensetive Index :** इसे सेन्सेक्स भी कहा जाता है। इसमें 30 प्रमुख कम्पनियों का शेयर शामिल है। इसका आधार वर्ष 1978–79 है।
- **BSE 200 :** इसमें 200 कम्पनियों के शेयरों का मूल्य या सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है। इसका आधार वर्ष 1988–89 है।
- **BSE Dollex :** इसमें BSE 200 की कम्पनियों का मूल्य या सूचकांक डॉलर में दिखाया जाता है। इसका आधार वर्ष भी 1988–89 है।
- **BSE Banker :** यह एक BSE का नया सूचकांक है। इसमें 12 बैंकों का मूल्य सूचकांक प्रदर्शित किया जाता है।
- **BSE का National Index :** इसमें 100 कम्पनियों के शेयरों का मूल्य सूचकांक शामिल किया जाता है। इसका आधार वर्ष 1983–84 है।
- 29 अक्तूबर 2007 में 20,000 का आंकड़ा पार करने वाला भारत विश्व का 20वां देश बना। 10 जनवरी 2008 में BSE का सूचकांक 21206 अंक को पार कर गया था।
- **National Stock Exchange (राष्ट्रीय शेयर बाजार) :** 1991 में केरवानी समिति ने इसकी स्थापना की सिफारिश की और 1992 में इसकी स्थापना की गई इसके प्रमुख रूप से दो शेयरों की दरें प्रसिद्ध है।
- **MIBOR (Mumbai Inter Bank Offer Rate) :** यह उधार की दर है।
- **MIBID (M.I.B. BIDE Rate) :** यह प्राप्ति की दर है।

NSE का मुख्यालय भी मुम्बई में है। वर्तमान में भारत में कुल 23 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत हैं।

भारत में मुद्रा पूर्ति की अवधारणा : मुद्रा पूर्ति का उद्देश्य मुद्रा पूर्ति की वृद्धि = अर्थ व्यवस्था की विकास दर मुद्रा की विलक्षणता उसकी तरलता है, जो मुद्रा को अन्य परिसम्पत्तियों से अलग कर देती है क्योंकि इसे बिना किसी हानि के मानव अपनी वांछित इच्छा में बदल सकता है और जो भी सम्पत्ति मुद्रा के रूप में नजदीक आएगी मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित हो जाएगी।

पारम्परिक अवधारणा (Tradinational Concept) : 1977 में RBI के Working Group ने मुद्रा की निम्नलिखित अवधारणाएं दी।

$$M_1 = Cp + DD$$

Cp = Coines and currency that held by public सिक्के और पत्र मुद्रा जो घंटा अपने पास जेब में रखती है।

DD = Demand Deposits

वर्तमान में इसे बदल करके M_1 = CP + DD + OD कर दिया गया है।

$$M_2 = M_1 + P.D.$$

P.D. = Post office Deposite

$M_3 = M_1$ + Time Deposite (विस्तृत मुद्रा)

1997 में मुद्रा पूर्ति के सन्दर्भ में घटित Y.B रेड्डी समिति ने मुद्रा पूर्ति के सन्दर्भ में M_0 की एक नई अवधारणा दी तथा M_4 को समाप्त कर दिया।

M_0 = बैंकों का RBI के पास जमा + CP

Y.B. रेड्डी ने उपरोक्त सरलता सूचकों के अलावा 3 सरलता समुच्चय को भी परिभाषित किया।

$L_1 = M_3$ + Pose Office की सम्पूर्ण जमाएँ

$L_2 = L_1$ + T.D. विकास वित्तीय संस्थाओं के सावधि जमाएँ

$L_3 = L_2$ + NBFcs की सावधि जमाएँ

NB = Non Bank financial corporation

तरलता का क्रम = $M_1 > M_2 > M_3$ .....

↓ ↑

तरलता वृद्धि

Lead बैंक योजना 1990– इसका उद्देश्य जिस साख में वृद्धि करना था R.B.I. प्रत्येक बैंक को एक जिला प्रदान करता है। उस जिले में बैंक साख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है।

Gild edge Market : ये सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। यहाँ पर सरकारी या अर्द्धसरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इन प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है।

UTI : वर्तमान में UTI सबसे बड़ा म्यूचूअल फण्ड है। इसकी स्थापना 1 फरवरी, 1964 में की गई। भारत में सरकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है।

(1) राज्य सहकारी बैंक– यह राज्य में सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था हैं

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंक– यह जिला स्तर पर जिला में शीर्ष सहकारी बैंक है।

(3) प्राथमिक ऋण समितियाँ– सहकारी बैंक का प्रथम स्तर है।

भारत में मुद्रा स्फीति थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर मापी जाती है जबकि कर्मचारियों के मंहगाई भट्टकी क्षतिपूर्ति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार पर किया जाता है।

क्रेता बाजार : श्रम संघ (जिसमें खरीदने वाला एक हो, विक्रेता अनेक)

विक्रेता बाजार : जहाँ बेचने वाले का अधिकार हो।

एकाधिकारी– विक्रेता – अनेक क्रेता

द्वयाधिकार– दो विक्रेता

एकाधिकारी प्रतियोगिता : उत्पादक 5–10 हो।

पूर्ण प्रतियोगिता– क्रेताओं और विक्रेता की

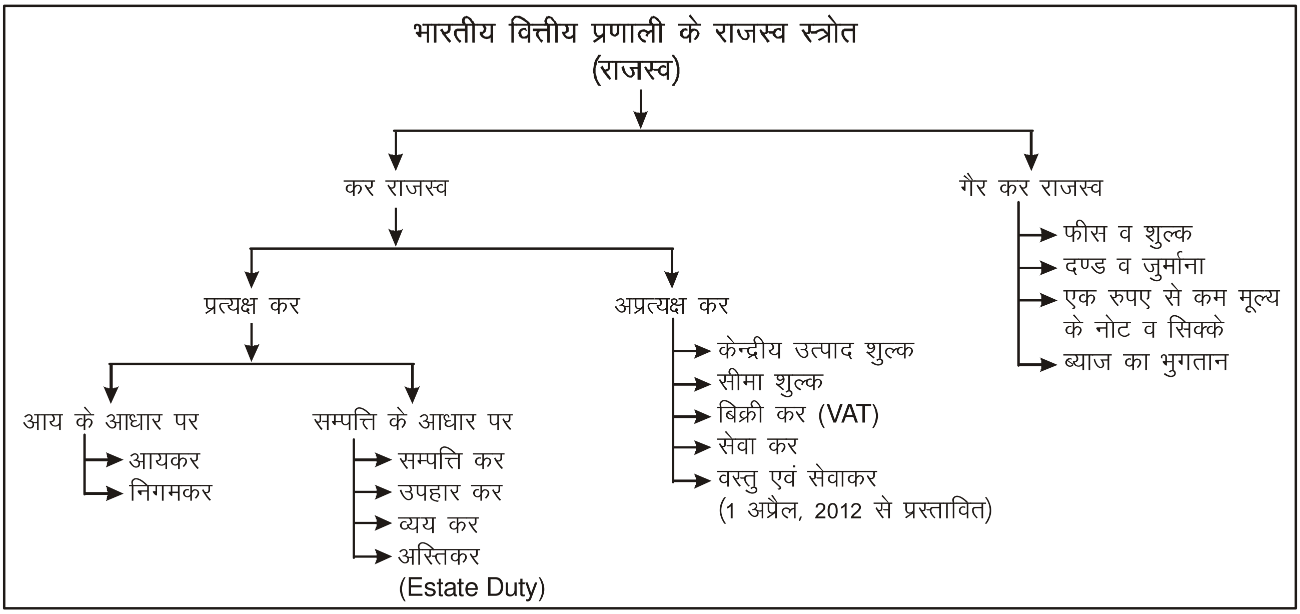

कराघात, करापात एवं कर विवर्तन : कराघात से तात्पर्य जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए या जिस पर कर का प्रारम्भिक भार पड़ता हो। करापात से तार्प्य जिस व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान किया जाए या कर का अन्तिम दाता ही करापात को सहन करता हो। कराघात से करापात तक कर को टालने की प्रक्रिया को कर विवर्तन कहते हैं।

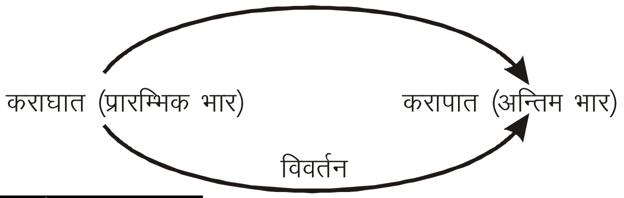

भारतीय कर व्यवस्था :

- भारतीय सरकार को करों से ही समस्त राजस्व की प्राप्ति होती है।

करों के प्रकार

(क) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) :

केन्द्र सरकार

- आयकर (व्यक्तियों, अविभाजित हिन्दू परिवारों तथा संस्थाओं की आय पर), निगम कर (कम्पनियों की आय पर कर), धन–कर, एस्टेट ड्यूटी (सम्पदा शुल्क), उपहार–कर, व्यय–कर, ब्याज–कर।

राज्य सरकारें

- होटल प्राप्तियों पर कर, भू–राजस्व, कृषि आय पर कर, व्यवसाय–कर, गैर–शहरी अंचल सम्पत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर।

(ख) परोक्ष कर (Indirect Taxes) :

केन्द्र सरकारें :

- बिक्री कर/व्यापार–कर, डीजल/पेट्रोल पर बिक्री–कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर परिवहन कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क गन्ने की खरीद पर शुल्क तथा उपकर, प्रवेश कर, विज्ञापन कर, शिक्षा उपकर, कच्चे जूट पर कर, सट्टेबाजी पर कर।

नोट :

- भारत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty) केन्द्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है।
- राज्य सरकार के कर राजस्व में बिक्री कर (Sales Tax) का हिस्सा सबसे अधिक होता है।
- भारत में आयकर प्रगामी है अर्थात् आय में वृद्धि के साथ–साथ कर में भी वृद्धि होती है।

प्रत्यक्ष कर : जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए और उसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते है। इसके अन्तर्गत कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर में कर विवर्तन की सम्भावना शून्य पाई जाती है। प्रत्यक्ष कर का योगदान कुल कर राजस्व में 54.9% है।

आयकर : व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। इसका प्रारम्भ 1960 से किया गया। इसकी 3 प्रमुख दरें हैं। जिसमें महिलाओं के लिए आयकर की छूट 1 लाख 90 हजार वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 लाख 40 अजार तथा पुरुषों के लिए 1 लाख 60 हजार निर्धारित किया गया। इसकी अधिकतम दर 30% है।

निगमकर : जिस प्रकार व्यक्ति की वार्षिक आय पर आयकर लगाया जाता है। उसी तरह कम्पनियों की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर निगम या Carorate Tax कहलाता है। इसकी दर घरेलू कम्पनियों के सन्दर्भ में 30% निर्धारित है।

MAT (Minimum Alternative Tax) : यह कम्पनियों के निवल या शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है। इसकी वर्तमान दर 15% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

सम्पत्ति कर : बैंक जमा को छोड़ करके जिस व्यक्ति के पास 30 लाख या उससे अधिक की सम्पत्ति है उसे अपने जीवन काल में एक बार सम्पत्ति कर देना होगा।

व्यय कर : ये व्यक्ति के वार्षिक कर पर लगाया जाता है। इस कर की सिफारिस केल्डर नामक अर्थशास्त्री ने की थी जिसे जून, 2010 में समाप्त कर दिया गया।

उपहार तथा अस्तिकर : उपरोक्त दोनों करों को क्रमशः 1 अक्तूबर, 1998 तथा 1 मार्च, 1985 में समाप्त कर दिया गया।

अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर : वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है तथा इस कर में कराघात तथा करापात अलग–अलग व्यक्तियों पर पड़ता है अर्थात् इसमें कर विवर्तन की पूरी सम्भावना पाई जाती है। यह कर लगाया तो किसी और पर जाता है पर इसका भुगतान किसी और के द्वारा किया जाता है। कुल राजस्व में इसका योगदान 44.8% है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क : आजादी के समय इसकी तीन दरें प्रचलित थी। जिसे वर्तमान में समाप्त करके 8% की एक दर लागू है।

सीमा शुल्क : इसे आयात–निर्यात कर भी कहते हैं। 80 के दशक के पूर्व विदेशी आयात पर 300% की दर से लगाया जाता था। वर्तमान में गैर कृषि उत्पाद पर 10% की दर से लगाया जाता है।

बिक्री कर : वर्तमान में इसे समाप्त करके इसके स्थान पर मूल्यवर्द्धित कर (VAT) 1 अप्रैल, 2005 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। VAT एक कर प्रणाली है। इसके तीन दरें पायी जाती हैं। 550 वस्तुओं पर 4% की दर से 270 वस्तुओं पर 12% की दर से तथा स्वर्ण एवं आभूषण जैसी 10 वस्तुओं पर 1% की दर से लगाया जाता है।

VAT को लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा तथा अन्तिम राज्य U.P. (1st Jan. 2008) है।

अण्डमान निकोबार समूह तथा लक्ष्यद्वीप में बिक्री कर (VAT) नहीं लागू है।

पेट्रोलियम उत्पाद तथा शराब पर VAT नहीं लागू है। भारत में VAT, L.K. समिति की सिफारिस पर लागू किया गया। इसे परिक्षण के तौर पर 1986–87 में विनिर्मित (MAN) VAT के रूप में केन्द्रीय सरकार ने लागू किया था।

MAN – Manufacturing

VAT का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1918 ई. में वान सीमेन्स ने किया था तथा इसे विकसित करने का श्रेय मॉरिश तथा कार्लसूप को जाता है। ये फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। 1918 में ही सर्वप्रथम इसे जर्मनी में ही लागू किया गया जहाँ पर असफल हो गया। 1954 में इसे फ्रांस में सफलता पूर्वक लागू किया गया।

सेवाकर : 10 लाख या उससे अधिक की सम्पत्ति प्रदित्य वाले सेवा प्रदाता पर यह कर लगाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत राजा जी चैलेय्या समिति की सिफारिश पर 1994–95 में लगाया गया। प्रारम्भ में तीन सेवाओं पर (टेलीफोन, सामान्य बीमा तथा स्टॉक ब्रोकर) 5% की दर से लगाया गया था। वर्तमान में (2010–11) 122% सेवाओं पर 10% की दर से लगाया जाता है। इसकी कुल दर 10.3% है क्योंकि इस पर 3% शिक्षा उपकर लगाया गया है।

उपकर तथा अधिभार (सरचार्ज) : दोनों प्रकार के कर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाये जाते हैं। प्रयोजन के पूर्व होने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है। सरचार्ज को tax on tax भी कहते हैं।

करों के प्रकार : अर्थशास्त्रियों ने मुख्यतः 4 कर बताएं हैं।

(1) प्रगतिशील कर : जैसे–जैसे व्यक्ति की वार्षिक आय बढत्रती जाए वैस–वैसे कर की दर में भी वृ0 हो तो इसे प्रगतिशील कर कहते हैं।

आय	कर की दर	कर आय
1000	10%	100
2000	15%	300
3000	20%	600
4000	25%	1000
5000	30%	1500

(2) प्रतिगामी कर : इसके अन्तर्गत जैसे–जैसे आय बढ़ती जाती है। वैसे–वैसे कर की दर घटती जाती है परन्तु कर में से प्राप्त होने वाली कुल आय बढ़ती जाती है।

आय	कर की दर ↓	↑ कर आय
1000	20%	200
2000	15%	300
3000	12%	360
4000	11%	440
5000	10%	500

(3) आनुपातिक कर : इसमें कर की दर तो स्थिर रहती है जबकि कर से होने वाली आय बढ़ती जाती है।

आय	कर की दर	कर आय
1000	10%	100
2000	10%	200
3000	10%	300
4000	10%	400
5000	10%	500

(4) अवक्रमिक कर (Degrassive Tax) : इसके अन्तर्गत कुछ सीमा तक आय में वृद्धि के साथ–साथ कर की दर भी बढ़ती है परन्तु एक स्तर के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है।

आय	कर की दर	कर आय
1000	10%	100
2000	25%	300
3000	20%	600
4000	20%	800
5000	20%	1000

भारत में आयकर की प्रणाली Deressive Type की होती है।

केन्द्र तथा राज्य द्वारा लगाए गए करों का विवरण :

- केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर
  (1) आयकर
  (2) निगमकर
  (3) धनकर या सम्पत्तिकर
  (4) उपहार कर तथा
  (5) व्यय कर

नोट : व्यय कर लगाने की सिफारिश कोल्डार ने की थी।

- राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर :
  1) होटल प्राप्तियों पर कर
  2) भू–राजस्व कर
  3) कृषि आय कर
  4) व्यवसाय कर
  5) गैर शहरी अचत सम्पत्तियों पर रंग तथा
  6) रोजगार कर।

- केन्द्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर
  1) सीमा शुल्क
  2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
  3) केन्द्रीय बिक्री कर तथा
  4) सेवा कर
- राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर
  1) बिक्री कर
  2) डीजल व पेट्रोल पर कर
  3) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क
  4) राज्य उत्पाद शुल्क
  5) वाहन पर कर
  6) प्रवेश कर
  7) विज्ञापन पर कर
  8) शट्टेबाजी पर कर तथा
  9) मनोरंजन कर
- कर राज्व में विभिन्न करों का हिस्सा (2009–10) के अनुसार
  1) निगम कर (23 पैसा) (1 रु. में 23 पैसा)
  2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (10 पैसा)
  3) आयकर व सीमा शुल्क (9 पैसा)
  4) सेवाकर (6 पैसा)

नोट : उधार एवं अन्य देयता में 29 पैसे की प्राप्ति होती है।

सबसे अधिक रुपया की प्राप्ति केन्द्र सरकार – उधार एवं अन्य देयता।

उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा स्त्रोत – बिक्रीकर

- भारत सरकार की व्यय की मदें (रुपया जाता है)
  1) केन्द्रीय आयोजन पर – (21 पैसे)
  2) व्यय भुगतान पर – (19 पैसे)
  3) करों एवं शुल्कों (duty) में राज्येां का हिस्सा (16 पैसे)
  4) रक्षा पर – (10 पैसे)
  5) आर्थिक सहायता पर – (6 पैसे)
- गैर योजना मद की सबसे अधिक भुगतान (व्यय) – **ब्याज कर**
- किस कर का बंटवारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के साथ नहीं करती है – **निगमकर**

मुद्रा स्फीति

''जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण वस्तु एवं सेवाओं के दाम बढ़ जाते हों और मुद्रा का मूल्य घट जाता हो तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं।

कौन ऐसा अर्थशास्त्री है जो कहता है कि मुद्रा स्फीति और रोजगार में धनात्मक सम्बन्ध है – **फीलीप्स**

मुद्रा स्फीति को लेकर के अर्थशास्त्रियों में अलग–अलग धारणाएँ प्रचलित हैं। परम्परागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार 'मुद्रा स्फीति वह है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो व वस्तुओं का मूल्य बढत्र रहा हो' इससे लक्षण तो पता चलता है परन्तु कारण नहीं। आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा स्फीति को एक मौद्रि प्रतिभास मानते हैं और प्रत्येक प्रकार की वृद्धि में कुछ को ही मुद्रा स्फीति बताते हैं।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. कीन्स (व्यापक अर्थशास्त्र जनक) ने मुद्रा स्फीति को पूर्ण रोजगार प्रतिभास कहा है। इनके अनुसार पूर्ण रोजगार के स्तर के पूर्व कीमत स्तर में वृद्धि विकास का प्रतिभास है। इसके प्रश्चात् यदि कीमत स्तर बढ़ेगी तो मुद्रा स्फीति पायी जायेगी।

मुद्रा स्फीति के कारण :

- मौद्रिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि स्फीति का प्रमुख कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि है।
- **लागत वृद्धि :** मूल्य स्तर के बढ़ने के कारण मजदूर वर्ग की वास्तविक आय कम हो जाती है जिससे वह अपने पर मजदूरी बढ़ाने हेतु दबाव डालता है। मजदूरी के बढ़ जाने पर वस्तु की लागत बढ़ जाती है। जिससे उत्पादक वस्तुओं के दाम में और वृद्धि कर देता है।
- **घाटे की वित्त व्यवस्था :** करारोपण – वृद्धि

स्फीति का प्रभाव

	वर्ग		लाभ / हानि
(1)	रोजगार में	–	वृद्धि
(2)	ऋणी	–	लाभ
(3)	ऋणदाता	–	हानि
(4)	व्यापारी	–	लाभ
(5)	किसान	–	लाभ
(6)	किरायेदार	–	लाभ
(7)	मकान मालिक	–	हानि
(8)	आयात	–	लाभ
(9)	निर्यात	–	हानि (व बचत में कमी)
(10)	स्थिर आय वर्ग	–	
(11)	पेंशनभोगी वर्ग	–	

मुद्रा स्फीति रोकने के उपाय :

(1) मौद्रिक उपाय : मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक निम्नलिखित मौद्रिक उपाय अपनाता है।
- (i) बैंक दर में वृद्धि
- (ii) खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय
- (iii) CRR की दरों में वृद्धि
- (iv) SLR की दरों में वृद्धि
- (v) विमुद्रिकरण (Monetization) : पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी करना।

(2) राज्यकोषीय उपाय :
- (i) आवश्यक सार्वजनिक व्यय में कमी
- (ii) करों की दर में वृद्धि
- (iii) नए करों को लगाना
- (iv) बचत का बजट

(3) अन्य उपाय
- (i) उत्पादन में वृद्धि
- (ii) कीमत नियन्त्रण

भारत की औद्योगिक नीतियाँ

स्वतन्त्रता से लेकर आज तक औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ घोषित कीं।

1948 की औद्योगिक नीति : इसे प्रस्तुत करने का श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। इसी में मिश्रित अर्थवयवस्था की नीति अपनाई गई और उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया प्रथम श्रेणी में 3 उद्योग रखे गए। द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग रखे गए। तृतीय श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया।

1956 की औद्योगिक नीति : इसे प्रस्तुत करने का श्रेय जवाहर लाल नेहरू को जाता है। इसको 17 उद्योगों पर केन्द्र सरकार का पूर्ण नियन्त्रण था तथा शेष उद्योगों पर निजी उद्योगपतियों का नियन्त्रण था जो विशेषकर उपभोक्ता वसतु के उत्पादक थे।

1977 की औद्योगिक नीति : इसे प्रस्तुत करने का श्रेय जॉर्ज फर्नाडीज को जाता है। इसमें विशेष रूप से लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। लघु उद्योगों को 3 वर्गों में रखा गया।

(1) अति लघु (Tinny Sector) : क्षेत्र की नई अवधारणा लागू की गई इसमें निवेश 1 Lakh रु. तथा इसकी स्थापना 50 हजार से कम क्षेत्र में की गई।

(2) जिला उद्योग केन्द्र : लघु उद्योग को एक स्थान पर सभी सुविधा उपलब्ध कराना।

(3) संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा अपनाई गई।

1980 की औद्योगिक नीति : इसका उद्देश्य भारतीय अर्थ व्यवस्था का आधुनिकीकरण विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था।

नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1995 : इसे राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस औद्योगिक नीति में उदारीकरण नीतिकरण एवं भूमण्डलीकरण को अपनाया गया इसके लिए निम्नलिखित मुख्य कार्य किए गए–

औद्योगिक लाइसेन्सिग : जब यह नीति लागू की गई उस समय 18 उद्योगों पर लाइसेंसिंग की पॉलिसी अपनाई गई अर्थात् ये 18 उद्योग सुरक्षा, सामाजिक कारण, पर्यावरण तथा प्रदुषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वर्तमान में 5 उद्योगों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य है।

(1) एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ का आश्वन एवं निर्माण

(2) तम्बाकू के सीगार व सिगरेट तथा इससे बनी वस्तुएँ

(3) इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस तथा रक्षा समान

(4) औद्योगिक विस्फोटक

(5) जोखिम वाले रसायन

सार्वजनिक क्षेत्र : सार्वजनिक क्षेत्र में 1998 तक 8 उद्योगों सार्वजनिक क्षे के लिए आरक्षित थे। 2001 में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की 26% की छूट के बाद इसकी संख्या 4 से घटकर वर्तमान में 3 बची है।

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग

(2) 15 मार्च, 1995 SO 212 के निर्गत

(3) रेल परिवहन

MRTP 1969 के स्थान पर CCI (Comptation Commission of India) 2002 : B.S. राघवन की अध्यक्षता में गठित समिति ने एकाधिकार के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की सिफारिश की इसकी स्थापना 22 मई, 2000 में की गई और प्रभावी 2002 से हुई।

फेरा के स्थान पर फेमा FERA – FEMA (Foreign Exchange & Ragulatory Act) : 1973 के तहत विदेशी विनिमय का निर्धारित स्थिर दर पर कियाजाता था। इसका उद्देश्य विनिमय संसाधनों को बचाना ताकि इनका उचित प्रयोग हो सके। उदारीकरण के बाद इसके स्थान पर फेमा को जून, 2000 में लागू किया गया।

औद्योगिक रुग्णता (बिमारी) : ऐसे उद्योग जो वित्तीय संसाधनों के अभाव में बन्द पड़े हुए थे उनके पर्ननिर्माण के लिए मई 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (B.I.F.R.) की स्थापना की गई। वर्तमान में यह निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। औद्योगिक रुग्णता पर दो समितियाँ गठित हो चुकी हैं।

(1) तिवारी समिति 1985

(2) ओमकार नाथ गोस्वामी समिति, 1993

31 अगस्त, 2000 में बालकृष्ण इराडी समिति ने B.I.A.R. को समाप्त करके राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (N.C.L.T.) की स्थापना का सुझाव दिया था।

सुमाखरन की प्रसिद्ध पुस्तक Small is beautiful है। लघु उद्योगों पर प्रसिद्ध पुस्तकें 2006 के अधिनियम के अनुसार लघु उद्योगों को छोटे (Small) लघु (Micro) एवं मझोले (Midium) उद्यम के रूप में जाना जाता है। इसक्षेत्र में कुल 6 करोड़ लोगों का वर्तमान में रोजगार मिला है।

अति लघु क्षेत्रों के लिए निवेश की सीमा आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दियागया है और लघु खेत्रों में निवेश की सीमा 2000–2001 में 3 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु 21 जनवरी, 1997 में मीरा सेठ की अध्यक्षता में समिति गठित की गई।

CAPART (कपार्ट) Council of people action and advancement of rural technology की स्थापना 1986 में की गई। यह ग्रामीण क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत में औद्योगिक गणना : भारत में औद्योगिक आर्थिक गणना की शुरुआत 1977 में हुई इसमें गैर कृषि क्षेत्र के ऐसे उद्योग शामिल किए गए थे जिसमें कम से कम एक कर्मचारी नियमित रूप से रोजगार प्रापत करता हो। दूसरी, तीसरी क्रमशः 1980 तथा 90 में की गई। जिसमें कृषि तथा गैर कृषि दोनों क्षेत्र के उद्यम शामिल थे। चौथी आर्थिक गणना 1998 में तथा 5वीं 2005 में शुरू हुई और इसके अन्तिम परिणाम 12 जून, 2006 में प्रकाशित हुए।

इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं :

(1) देश में कुल उद्यमों की संख्या 4.212 करोड़ इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2.581 करोड़ (61.5%) शहरी क्षेत्र में 1. 631 करोड़ (38-7%)।

(2) रोजगार में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.49% इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 3.33% शहरी क्षेत्रों में 1.68%।

(3) सर्वाधिक उद्यम वाले पाँच राज्य, इन पाँच राज्यों में कुछ उद्योगों का 50% से अधिक हिस्सा आता है।

(i) पहले स्थान पर तमिलनाडु – 10.56%

(ii) दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र – 10.39%

(iii) तीसरे स्थान पर प. बंगाल – 10.77%

(iv) चौथे स्थान पर आन्ध्र प्रदेश – 9.55%

(v) उत्तर प्रदेश – 9.53

(4) सर्वाधिक उद्यम वाले केन्द्र शासित राज्य

(i) दिल्ली – 1.79%

(ii) चंडीगढ़ – 0.16%

(iii) पांडिचेरी – 0.12%

(5) सर्वाधिक रोजगार वाले 5 राज्य

(i) महाराष्ट्र – 11.95%

(ii) तमिलनाडु – 9.97%

(iii) प. बंगाल – 9.42%

(iv) आन्ध्रप्रदेश – 8.96%

(v) उत्तर प्रदेश – 8.63%

भारत में नवरत्न, महारत्न तथा मिनिरत्न : भारत में नवरत्न की अवधारणा जुलाई 1797 में प्रारम्भ हुई। जो उद्यम ग्लोबल कम्पनी की सम्भावना रखते हों तथा पिछले 3 वर्ष से लाभ कमा रहे हो। 97 में 9 केन्द्रीय उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। 2008 में पुनः 9 म्पनियों को और वर्तमान में अप्रैल, 2010 तक इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई है। 20वीं कम्पनी Oil है। 19वीं कम्पनी RINL है।

महारत्न की कम्पनियाँ 3 से बढ़कर वर्तमान में 4 हो गई हैं। इन कम्पनियों पर सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है।

1. राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (NTPC- National Thermal Power Corporation)
2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC - Oil and Natural gas Corporation)
3. SAIL (Steel Authority of India Limited)
4. Oil (Oil India Limited)

वर्तमान में मिनिरत्नों की संख्या 52 है। इनमें लार्सन एवं टूब्रो (L & T), महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, TATA जैसी कम्पनियाँ शामिल हैं।

मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

हाल ही में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के आठ उद्यमों नामतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बाडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ऑल इण्डिया लिच, कोचीन शिपयार्ड लि. हिन्दुस्तान कॉपर लि. इंडियन रेलवे केटरिंग और पर्यटन निगम लि., मिश्र धातु निगम लि., नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लि. और सतलुज जल विद्युत् निगम लि. को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है जिससे मिनी रत्न प्राप्त केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को अभी तक निजीकरण का दर्जा प्राप्त था जिसे मार्च 2010 में नवरत्न का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

नवरत्न व मिनी रत्न कम्पनियों को म्यूचुअल फण्डों में निवेश की अनुमति

वैश्विक मंदी के प्रभावस्वरूप शिथिल हो रहे शेयर बाजार और म्यूचुअल फण्डों में जान फूँकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न और मिनी रत्न कम्पनियों को अपने अतिरिक्त नकद शेष का 30% म्यूचुअल फण्ड में निवेश करने की मंजूरी प्रदान की है। सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फण्डों के माध्यम से ही इन कम्पनियों को निवेश की अनुमति होगी। इस आशय का फैसला आर्थिक मामलों को मंत्रिमण्डलीय समिति (CCEA) ने 26 दिसम्बर, 2008 को किया। नवरत्न व मिनी रवरत्न कम्पनियों को ऐसे निवेश की अनुमति पहले भी अगस्त, 2007 में प्रदान की गई थी, किन्तु यह केवल एक वर्ष के लिए ही थी। जिसकी समय सीमा 1 अगस्त, 2008 को समाप्त हो गई थी।

भारत में नवरत्न तथा महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ

सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कम्पनियों में एक और नाम अप्रैल 2011 में जुड़ गया है। कोयला क्षेत्र की दिग्गज कम्पनी कोल इंडिया लि. (CIL), जिसने देश में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम जारी करके कीर्तिमान अक्टूबर, 2010 में स्थापित किया था, को 'महारत्न' का दर्जा सरकार ने अप्रैल 2011 में प्रदान किया है। इस कम्पनी को 'नवरत्न' कम्पनी का दर्जा इससे पूर्व प्राप्त था। 'महारत्न' का दर्जा मिलने से देश में महारत्न कम्पनियों की कुल संख्या 5 हो गई है। इनमें कोल इंडिया लि. के अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC), भारतीय तेल निगम (IOC), भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL) व राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम (NTPC) शामिल हैं। महारत्न का दर्जा प्राप्त कम्पनियों को निवेश के मामले में अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त कम्पनियाँ जहाँ 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं, वहीं 'महारत्न' कम्पनियों को 5000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए यह स्वायत्तता प्राप्त है। महारत्न का दर्जा मिलने के पश्चात् कोल इंडिया लि. अब विदेशी परियोजनाओं में निवेश के सम्बन्ध में भी ज्यादा आसानी से निर्णय ले सकेंगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत् कोयला क्षेत्र की ही एक अन्य कम्पनी निवेली लिग्नाइट, जिसे 'मिनीरत्न' का दर्जा अभी तक प्राप्त था, को 'नवरत्न' कम्पनी का दर्जा सरकार ने अप्रैल 2011 में प्रदान किया हैं। इससे देश में नवरत्न कम्पनियों की कुल संख्या 16 ही रही है।

महारत्न के दर्जे हेतु आवश्यक दशाएं एक दृष्टि में

- कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।
- पिछले तीन वर्षों में कम्पनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो।
- इस दौरान कम्पनी ने 5000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।
- इन तीन वर्षों में कम्पनी का निवल मूल्य (नेटवर्थ) औसतन 15000 करोड़ रुपए रहा हो।
- कम्पनी के पास नवरत्न का दर्जा हो।

भारत की 5 महारत्न कम्पनियाँ (अप्रैल 2011 के अन्त तक की स्थिति)

1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण (SAIL)
2. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
3. भारतीय तेल निगम (IOC)
4. राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम (NTPC)
5. कोल इंडिया लि.

16 नवरत्न कम्पनियाँ

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (BEL)
- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (BHEL)
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL)
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (HPCL)
- महानगर टेलीफोन निगम लि. (MTNL)
- भारतीय गैस प्राधिकरण लि. (GAIL)
- हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (HAL)
- पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (PGCIL)
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (REC)
- नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (NALCO)
- राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (RINL)
- पॉवर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (PFC)
- भारतीय नौवहन निगम (SCI)
- ऑइल इण्डिया लि. (OIL)
- निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC)

चेन्नई में टाइडेल पार्क की स्थापना

हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग को आधारिक संरचना की सभी सुविधाएं एक ही स्थन पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चेन्नई में तारामणि (Taramani) में अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना 4 जुलाई, 2000 को की गई जिसे टाइडेल पार्क (TIDEL PARK) नाम दिया गया।

राज्यवार संचयी FDI का अन्तर्प्रवाह (अप्रैल 2000 से नवम्बर 2007 तक)			
क्र.	RBI का क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	FDI अन्तर्प्रवाह में हिस्सा (प्रतिशत)
1.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव	25.14
2.	नई दिल्ली	दिल्ली उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और हरियाणा	22.68
3.	बंगलुरु	कर्नाटक	7.03
4.	चेन्नई	तमिलनाडु और पुदुचेरी	6.69
5.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	4.12
6.	अहमदाबाद	गुजरात	2.84
स्रोत : औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग			

प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की अधिकतम अनुमन्य सीमा		
क्र.	क्षेत्र	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1.	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग	49
2.	निजी क्षेत्र की बैंकिंग	74
3.	वित्तीय कम्पनियाँ	100
4.	बीमा कम्पनियाँ	26
5.	स्वदेशी विमान सेवा	49
6.	हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण	100
7.	दूरसंचार (बेसिक, सेल्युलर)	74
8.	निर्माण विकास परियोजनाएं	100
9.	पेट्रोलियम (रिफायनिंग–नई इकाइयाँ)	100
10.	सार्वजनिक क्षेत्र की रिफायनरियाँ	26
11.	विपणन	74
12.	अपस्ट्रीम	51–100
13.	कोयला खनन	100
14.	थोक व्यापार एवं निर्यात व लघु उद्योग के लिए व्यापार	100
15.	प्रसारण	20–49
16.	विद्युत् (परमाणु ऊर्जा के अलावा)	100
17.	फार्माक्युटिकल्स (औषधियाँ)	100
18.	सड़क एवं बन्दरगाह	100
19.	होटल एवं पर्यटन	100
20.	खनन और खनिज	100
21.	कोरियर सेवाएं	100
22.	पर्यावरण नियन्त्रण	100
23.	विज्ञापन, फिल्म	74–100
24.	रक्षा और सामरिक उद्योग	26
25.	चाय उद्योग (चाय बागान सहित)	100
26.	प्रिण्ट मीडिया	100
27.	विज्ञान एवं तकनीकी पत्र–पत्रिकाएं	100
28.	बुनियादी ढाँचा और सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियाँ (ऐसेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनियाँ)	49
29.	उपग्रहों की स्थापना और संचालन	74
30.	कृषि (फुलवारी, बागवानी, बीजों का विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, सब्जी आदि)	100
31.	विदेशी समाचार–पत्रों का प्रकाशन	100
32.	कॉफी एवं रबड़ प्रसंस्करण	100
33.	सिगार एवं सिगार उत्पादन	100
34.	अल्कोहॉल आसवन	100
35.	खतरनाक रसायन	100
36.	औद्योगिक विस्फोटक उत्पादन	100
37.	गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ	100
38.	विशेष आर्थिक क्षेत्र–उनमें यूनिटों की स्थापना	100

बीमा क्षेत्र तथा विदेशी समाचार–पत्रों के प्रकाशन के लिए FDI सीमा में वृद्धि

नए बीमा (संशोधन) विधेयक 2008 में बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा मौजूदा 26% से बढ़ाकर 49% करने का सरकार का प्रस्ताव है। वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। उस समय इस क्षेत्र में 26% FDI की अनुमति प्रदान की गई थी।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार ने विदेशी समाचार–पत्रों के प्रतिरूप (फैसीमाइल) संस्करणों के भारत में प्रकाशन के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 100% जनवरी, 2009 में कर दिया है। अभी तक अधिकतम 26 प्रतिशत निवेश ही इस क्षेत्र में अनुमन्य था।

एफ.डी.आई. - मार्ग आगे का

रिटेल क्षेत्र में एफ.डी.आई. लाभ कैसे देगी ?

- ❖ वाल–मार्ट जैसे विश्व रिटेल संस्था के प्रवेश से नए निवेश दिखाई देने की संभावना है।
- ❖ कुछ ही समय अवधि में इसके 3–4 मिलियन नए रोजगार शामिल करने की संभावना है। अन्य 4–6 मिलियन रोजगार संभार–तंत्र, ठेका श्रमिक, हाउस–कीपिंग और सुरक्षा के क्षेत्र में सृजित किए जा सकते हैं।
- ❖ संभार–तंत्र, कोल्डचेन, भांडागारों के विकास में सहायता करने की आशा है।
- ❖ सरकारी राजस्व को विभिन्न करों के माध्यम से 24–30 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त राशि प्राप्त हो सकती है।
- ❖ वनस्पति/सब्जियों तथा खराब होने वाली अन्य सामग्रियों की क्षति कम होगी और स्फीति नियंत्रण रखने में सहायता मिलेगी।
- ❖ उपभोक्ताओं के लिए 5–10% की बचत होगी।
- ❖ किसानों को 10–30% अधिक आय दिलाने में सहायता कर सकती है।
- ❖ आर्थिक विकास में वृद्धि होगी।

नए नियम क्या कहते हैं ?

एकल–ब्रांड रिटेल

- ❖ सरकार ने एकल–ब्रांड रिटेल में 100% एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी है।
- ❖ विदेशी निवेशक ब्राण्ड के स्वामी हों।
- ❖ बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्राण्ड' होने चाहिए।
- ❖ उत्पाद भारत से भिन्न एक या अधिक देशों में एक ही ब्रांड के नाम से बेचे जाने चाहिए।
- ❖ खरीदे गए माल के मूल्य का 30% का स्रोत भारत वरीयतः लघु एवं मध्यम इकाईयों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, दस्तकारों तथा शिल्पकारों से किया जाएगा।
- ❖ स्रोत की मात्रा स्व–प्रमाणित की जाए, सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा जांच की जाए।

मल्टी–ब्राण्ड रिटेल

- ❖ मल्टी–ब्राण्ड रिटेल में सरकार 51% एफ.डी.आई की अनुमति दे।
- ❖ विदेशी निवेशकों द्वारा एफ.डी.आई. के रूप में लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी।
- ❖ न्यूनतम 50% कुल एफ.डी.आई. तीन वर्षों में बैक–एड आधारिक संरचना पर लगाई जाए।
- ❖ निर्मित/संसाधित उत्पादों की प्राप्ति के मूल्य की न्यमनतम 30% राशि का स्रोत ऐसे भारतीय लघु उद्योग हों, जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक न हो।
- ❖ रिटेल बिक्री केन्द्र केवल उन शहरों में स्थापित किए जाएं जिनकी जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक हो और ऐसे शहरों की नगर/शहरी सीमा के आस पास का 10 किमी. क्षेत्रफल कवर होता हो।
- ❖ ई–कॉमर्स के माध्यम से किसी भी रूप में रिटेल ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ❖ फल, सब्जियों, फूलों, अन्न, दलहन, ताजा मुर्गे, मछली एवं मीट उत्पादों सहित ताजा फार्म उत्पाद बिना ब्राण्ड वाले हो सकते हैं।
- ❖ फार्म उत्पादों को मुहैया कराने का पहला अधिकार सरकार का होगा।

विदेशी रिटेलर भारत में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं ?

- ❖ बड़े बाजार, बढ़ती हुए प्रयोज्य आय एवं खर्च करने की शक्ति।
- ❖ भारतीय रिटेल बाजार का अनुमानित आकार लगभग 450 मिलियन अमरीकी डॉलर का है।

विदेशी प्रत्यक्ष (FDI) निवेश नीति
(31 मार्च, 2008)

I. क्षेत्र जिसमें FDI की अनुमति नहीं है

1. फुटकर व्यापार (एकल ब्राण्ड उत्पाद खुदरा बिक्री छोड़कर)
2. परमाणु ऊर्जा
3. लॉटरी व्यापार
4. सट्टा बाजार और जुआ
5. चिट फण्ड व्यापार
6. निधि कम्पनी
7. ट्रांसफरेबल डेवेलपमेन्ट्स राइट्स व्यापार
8. वे क्षेत्र जो निजी क्षेत्र निवेश के लिए खुले नहीं हैं।

II. क्षेत्र जिसमें FDI के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है–

1. जहाँ प्रेस नोट 1 (2005 शृंखला) के प्रावधान लगे हों।
2. जहाँ 24% से अधिक विदेशी पूँजी उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए लगाई जानी है, जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

स्रोत : भारत 2008, पेज 607 तथा 616

विश्व के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक

	शेयर मूल्य सूचकांक		स्टॉक एक्सचेंज
1.	डॉलेक्स, सेंसेक्स BSE-20, बैंकेक्स	–	BSE मुंबई (भारत)
2.	निफ्टी	–	NSE मुंबई (भारत)
3.	डी. जोन्स	–	न्यूयार्क (अमरीका)
4.	निक्की	–	टोकियो (जापान)
5.	मिडडेक्स, फ्रैंकफर्ट	–	जर्मनी
6.	हांग सेंग	–	हांगकांग
7.	सिमेक्स, स्ट्रेट्स टाइम्स	–	सिंगापुर
8.	कोस्पी	–	कोरिया
9.	सेट	–	थाइलैण्ड
10.	तेन	–	ताइवान
11.	शंघाई कॉम	–	चीन
12.	नास्डैक	–	स. रा. अमरीका
13.	एस. एण्ड पी.	–	कनाडा
14.	बोवेस्पा	–	ब्राजील
15.	मिष्टेल	–	इटली
16.	आई. पी. सी.	–	मैक्सिको
17.	जकार्ता कम्पोजिट	–	मलेशिया
18.	सियोल कम्पोजिट	–	दक्षिण कोरिया

प्रमुख उत्पाद एवं उससे संबंधित देश

उत्पाद		देश
➢ फोर्ड	–	सं. रा. अमेरिका
➢ वोक्सवेगन	–	जर्मनी
➢ निस्सान	–	जापान
➢ रेनो	–	फ्रांस
➢ होण्डा	–	जापान
➢ मारुति	–	भारत
➢ हुण्डई	–	दक्षिण कोरिया
➢ एल. जी.	–	दक्षिण कोरिया
➢ रिबोक	–	सं. रा. अमेरिका
➢ नाइक	–	सं. रा. अमेरिका
➢ एडीडास	–	जर्मनी
➢ हीरो	–	भारत
➢ नोकिया	–	फिनलैण्ड
➢ प्यूमा	–	इटली
➢ फिएट	–	इटली
➢ सैमसन्ग	–	दक्षिण कोरिया
➢ टोयटा	–	जापान
➢ हिन्दुस्तान मोटर्स	–	भारत
➢ एयरटेल	–	भारत
➢ बोडाफोन	–	ब्रिटेन
➢ अमेरिकन मोबाइल	–	मैक्सिको
➢ टेलीफोनिका	–	स्पेन
➢ चाइना मोबाइल	–	चीन

प्रमुख उद्योगों की स्थापना :

उद्योग	आधुनिक तरीके के प्रथम कारखाने का स्थापना वर्ष एवं स्थान	उद्योग	आधुनिक तरीके के प्रथम कारखाने का स्थापना वर्ष एवं स्थान
सूती वस्त्र	1818, कोलकाता	सीमेण्ट	1904, चेन्नई (मद्रास)
जूट	1855, रिशरा (प. बंगाल)	साइकिल	1918, कोलकाता
लोहा इस्पात	1870, कुल्टी (प. बंगाल)	कागज	1812, सेरामपुर (प. बंगाल)
चीनी उद्योग	1900, बिहार	उर्वरक	1906, तमिलनाडु

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने :

स्थान	तथ्य
राउरकेला (उड़ीसा)	• द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
भिलाई (मध्य प्रदेश)	• द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। 1959 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
दुर्गापुर (प. बंगाल)	• द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1962 ई. में उत्पादन शुरू हुआ।
बोकारो (झारखण्ड)	• एशिया का सबसे बड़ा संयन्त्र। इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। वर्ष 1973 ई. में उत्पादन आरम्भ हुआ।
बर्नपुर (प. बंगाल)	• निजी क्षेत्र संयन्त्र के राष्ट्रयकरण द्वारा अधिगृहीत यह संयन्त्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ।
विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)	• चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2256 करोड़ रुपये की सरकारी लागत से रूस की सहायता से स्थापित किया गया।
सलेम (तमिलनाडु)	• चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित किया गया।
भद्रावती (कर्नाटक)	• चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया।
विजयनगर (कर्नाटक)	• चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया।

भारत के अब तक के वित्त मन्त्री :

वर्ष	वित्त मन्त्री
1947–49	आर. के. षणमुगम चेट्टी
1949–51	जॉन मथाई
1951–57	सी. डी. देशमुख
1957–1958	टी. टी. कृष्णामाचारी
1958–59	जवाहर लाल नेहरू
1959–64	मोरार जी देसाई
1966–67	सचीन्द्र चौधरी
1967–70	मोरार जी देसाई
1970–71	इन्दिरा गाँधी
1971–75	यशवन्तराज बी. चह्वाण
1975–77	सी. सुब्रह्मण्यम
1977–78	एच. एम. पटेल
1979–80	चरण सिंह
1980–82	आर. वेंकटरमण
1982–85	प्रणव मुखर्जी
1985–87	वी. पी. सिंह
1988–89	नारायण दत्त तिवारी
1989–90	एस. बी. चह्वाण
1990–91	मधु दण्डवते
1991–92	यशवंत सिन्हा
1992–96	मनमोहन सिंह
1996–98	पी. चिदम्बरम
1998–2003	यशवन्त सिन्हा
2003–2004	जसवन्त सिंह
2004–2009	पी. चिदम्बरम
2009–अब तक	प्रणव मुखर्जी

आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य समितियाँ :

के. एन. काबरा समिति	• फ्यूचर ट्रेडिंग
पिन्टो समिति (1997)	• नौवहन उद्योग
चंद्रात्रे समिति	• शेयर व प्रतिभूतियों की स्टॉक एक्सचेन्जों में डीलिस्टिंग
यू.के. शर्मा समिति	• नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देख रेख
अजीत कुमार समिति (1997)	• सेना के वेतनों की विसंगतियाँ
सी. बी. भावे समिति (1997)	• कम्पनियों द्वारा सूचनाएँ प्रस्तुत करना
धानुका समिति (2000)	• प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित नियम
दवे समिति	• असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश
मल्होत्रा समिति	• बीमा क्षेत्र में सुधार
सेनगुप्ता समिति	• शिक्षित बेरोजगारी
डॉ. विजय केलकर समिति	• प्राकृतिक गैस मूलय
बी. एन. युगांधर समिति (1995)	• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना
भण्डारी समिति (1994)	• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना
शंकरलाल गुरु समिति	• कृषि विपणन
भगवती समिति	• बेरोजगारी
वाचू समिति	• प्रत्यक्ष कर
एल. के. झा समिति	• अप्रत्यक्ष कर
स्वामीनाथन समिति	• जनसंख्या नीति (1994)
दांतवाला समिति	• बेरोजगारी के अनुमान
सुखमय चक्रवर्ती समिति	• मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार
सरकारिया समिति	• केन्द्र राज्य सम्बन्ध
हजारी समिति (1985)	• औद्योगिक नीति
दत्त समिति	• औद्योगिक लाइसेंसिंग
चक्रवर्ती कमेटी (1985)	• मौद्रिक पद्धति के कार्यों की समीक्षा
एस. एस. तारापोर समिति (1997)	• पूँजी खाते की परिवर्तनशीलता
पी. सी. एलेक्जेण्डर समिति (1978)	• आयात–निर्यात नीतियाँ तथा आयात लाइसेंस का उदारीकरण
महाजन समिति (मार्च, 1997)	• चीनी उद्योग
महालनोबिस समिति	• राष्ट्रीय आय
राजा चिलैया समिति	• कर सुधार
खुसरो समिति	• कृषि साख
गोइपोरिया समिति	• बैंक सेवा सुधार
नरसिम्हन समिति	• बैंकिंग सुधार
जानकीरमन समिति	• प्रतिभूति घोटाला
रेखी समिति	• अप्रत्यक्ष कर
गोस्वामी समिति (1993)	• औद्योगिक रुग्णता
तिवारी समिति (1984)	• औद्योगिक रुग्णता
डॉ. मेहता समिति	• आई. आर. डी. पी. की प्रगति पर पुनर्विचार
रंगराजन समिति (1991)	• भुगतान सन्तुलन
वाघुल समिति	• म्यूचुअल फण्ड स्कीम
नादकर्णी समिति	• सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियाँ
के. आर. वेणुगोपाल समिति (1994)	• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केन्द्रीय निर्गम मूलय निर्धारण
एम. जी. जोशी समिति (1994)	• दूरसंचार में निजी क्षेत्र का प्रवेश
राकेश मोहन समिति (1995)	• आधारिक संरचना वित्तीयन
ज्ञान प्रकाश समिति (1994)	• चीनी घोटाला
मालेगाम समिति (1965)	• प्राथमिक पूँजी बाजार
सोधानी समिति (1965)	• विदेशी मुद्रा व्यापार
ए. एल. कपूर समिति	• लघु उद्योगों की साख सम्बन्धी
अग्रवाल समिति	• पेट्रोलियम डीलरशिप के आबंटन की जाँच के लिए
सुब्रह्मण्यम समिति	• शैक्षणिक संस्थानों को 'डीम्ड विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने के लिए

कर्नाटक में जनगणना की तर्ज पर अब मौतों की भी गणना

जनगणना की तर्ज पर अब मौतों (Deaths) की गणना का कार्य भी कर्नाटक में प्रारम्भ किया गया है. मृत्यु गणना करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य है तथा देश में अपने किस्म की यह पहली गणना है. मृत्यु गणना (Death Census) तीन श्रेणियों (नवजात मृत्यु, बाल मृत्यु तथा वयस्क मृत्यु) में की जा रही है।

योजना आयोग
(5 जून, 2009 की स्थिति)

1. मनमोहन सिंह (प्रधानमंत्री)	अध्यक्ष
2. मोंटेक सिंह आहलूवालिया	उपाध्यक्ष
3. मिहिर शाह	सदस्य
4. सुमित्रा चौधरी	सदस्य
5. नरेन्द्र जादव	सदस्य
6. बी. के. चतुर्वेदी	सदस्य
7. अभिजीत सेन	सदस्य
8. सईदा हमीद	सदस्य
9. सुभाषचन्द पाणि	सचिव

इण्डिया विजन–2020 के महत्वपूर्ण लक्ष्य

क्र.	विकास	2000–2001 की स्थिति	2020 की सम्भावना
1.	गरीबी रेखा से नीचे की आबादी (% में)	26%	13%
2.	बेरोजगारी की दर	7.3%	6.8%
3.	कृषि में रोजगार	56%	40%
4.	वयस्क पुरुष साक्षरता	68%	96%
5.	वयस्क महिला साक्षरता	44%	94%
6.	प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला	77.2%	99.9%
7.	शिक्षा पर खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत)	3.2%	4.9%
8.	जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय)	64 वर्ष	69 वर्ष
9.	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण	45%	8%
10.	स्वास्थ्य पर खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत)	0.8	3.4
11.	प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (किलोग्राम तेल के समतुल्य)	486.0	2002.0
12.	बिजली खपत (किलोवाट प्रति घण्टे)	384.0	2460.0
13.	टेलीफोन (प्रति हजार आबादी पर)	34.0	203.0
14.	व्यक्तिगत कम्प्यूटर (प्रति 1000 पर)	3.3	52.3
15.	अनुसंधान व विकास में लगे वैज्ञानिक व इंजीनियरों की संख्या (प्रति एक लाख आबादी में)	149.0	590.0
16.	वार्षिक वृद्धि दर (GDP का प्रतिशत)	4.4%	9.0%
17.	सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा– (i) कृषि	28.0%	6.0%
	(ii) उद्योग	26.0%	34.0%
	(iii) सेवा क्षेत्र	46.0%	60.0%
18.	कुल पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा	2.1%	24.5%
19.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	71.0	22.5
20.	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	25.5%	40.0%

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

संगठन	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	सदस्य
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1945	वाशिंगटन डी.सी.	186
विश्व बैंक	1945	वाशिंकटन डी.सी.	186
(पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) तथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेन्सी (MIGA) विश्व बैंक से ही सम्बद्ध संस्थाएं हैं। मूलतः स्थापित संस्था IBRD है जिसकी स्थापना 1945 में हुई। IFC की स्थापना 1956 में व IDA की 1960 में हुई)			
विश्व व्यापार संगठन (WTO)	1995	जेनेवा	151
एशियाई विकास बैंक	1966	मनीला	61
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ (ASEAN)	1967	जकार्ता	10 (इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कम्बोडिया)
नाफ्टा (NAFTA)	1992		3 (अमरीका, कनाडा, मेक्सिको)
एपेक (APEC)	1989		21 (ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, कनाडा, चीन, मेक्सिको, जापान, हांगकांग, ताईवान, द. कारिया, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैण्ड, पपुआ न्यूगिनी, न्यूजीलैण्ड, चिली, पेरू, रूस तथा वियतनाम)
(एपेक ने सन् 2020 तक एशिया प्रशान्त क्षेत्र को स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र होगा।)			
यूरोपियन संघ	1958 में स्थापित EEC का परिवर्तित रूप	ब्रूसेल्स	27 (फ्रांस, लक्जेमबर्ग, डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैण्ड, हॉलैण्ड, इटली, स्पेन, ग्रीस, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैण्ड, स्वीडन, पोलैण्ड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, लाटविया, साइप्रस, माल्टा, बुल्गारिया तथा रूमानियाँ)
मर्कोसुर (Mercosur) (यह दक्षिणी अमरीकी क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है।)	1995		4 (ब्राजील, अर्जेन्टीना, पराग्वे व उरुग्वे)
ओपेक (OPEC)	1960	वियना (ऑस्ट्रिया)	13 (अल्जीरिया, इण्डोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, इक्वेडोर एवं गैबान)
दक्षेस (SAARC)	1985	काठमाण्डू	8 (भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, व अफगानिस्तान)
जी–15 (19 विकासशील देशों का संगठन)	1989	जेनेवा	19 (भारत, मेक्सिको, जमैका, वेनेजुएला, पेरू, ब्राजील, अर्जेन्टीना, सेनेगल, अल्जीरिया, नाईजीरिया, जिम्बाब्वे, मिस्र, मलेशिया, इण्डोनेशिया, चिली, कीनिया, श्रीलंका, कोलम्बिया व ईरान)
आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)	1948 में स्थापित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का परिवर्तित रूप	पेरिस (फ्रांस)	29 (ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चैक रिपब्लिक (Czech Republic), हंगरी, कोरिया (रिपब्लिक), मेक्सिको, पोलैण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, जापान, लक्जेमबर्ग, नीदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, टर्की, यू.के. तथा यू.एस.ए.)
एसेम (ASEM)	1996		25 (यूरोपीय संघ के 15 व आसियान के 7 देशों के साथ–साथ जापान, द. कोरिया व चीन को शामिल करते हुए एशिया के 10 देश)
एशियाई क्लीयरिंग यूनियन (ACU)	1975	तेहरान	8 (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल श्रीलंका, ईरान, भूटान, व म्यांमार)
संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)	1945	न्यूयॉर्क	192

महत्वपूर्ण समितियाँ

समिति	कार्यक्षेत्र
1. राज समिति	कृषि जोतकर
2. भगवती समिति	बेरोजगारी
3. वांचू समिति	प्रत्यक्ष कर
4. एल. के. झा समिति	अप्रत्यक्ष कर
5. स्वामीनाथन समिति (1994)	जनसंख्या नीति
6. भूतलिंगम समिति	मजदूरी, आय और कीमतें
7. दांतवाला समिति	बेरोजगारी के अनुमान
8. सुखमय चक्रवर्ती समिति	मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार
9. सरकारिया समिति	केन्द्र–राज्य सम्बन्ध
10. वैद्यनाथन समिति	सिंचाई के पानी
11. हजारी समिति (1967)	औद्योगिक नीति
12. दत्त समिति	औद्योगिक लाइसेंसिंग
13. महालनोबिस समिति	राष्ट्रीय आय
14. राजा चेलैया समिति	कर–सुधार
15. खुसरो समिति	कृषि साख
16. कोइपोरिया समिति	बैंक सेवा सुधार
17. नरसिम्हम समिति	वित्तीय (बैंकिंग) सुधार
18. जानकीरमन् समिति	प्रतिभूति घोटाला
19. रेखी समिति	अप्रत्यक्ष कर
20. गोस्वामी समिति (1993)	औद्योगिक रुग्णता
21. तिवारी समिति (1984)	औद्योगिक रुग्णता
22. डॉ. मेहता समिति	आई.आर.डी.पी. की प्रगति पर पुनर्विचार
23. रंगराजन समिति (1991)	भुगतान सन्तुलन
24. वाघुल समिति	म्यूचुअल फंड स्कीम
25. नादकर्णी समिति	सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियाँ
26. मल्होत्रा समिति	बीमा क्षेत्र में सुधार
27. सेन गुप्ता समिति	शिक्षित बेरोजगारी
28. डॉ. विजय केलकर समिति	प्राकृतिक गैस मूल्य
29. बी. एन. युगांधर समिति (1995)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता
30. नन्जुन्दप्पा समिति (1993)	रेलवे किराए भाड़े
31. भण्डारी समिति (1994)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्सरचना
32. सुन्दरराजन समिति (1995)	(खनिज) तेल क्षेत्र में सुधार
33. डी. के. गुप्ता समिति (1995)	दूर संचार विभाग की पुनर्संरचना
34. शंकरलाल गुरु समिति	कृषि विपणन
35. के. आर. वेणुगोपाल समिति (1994)	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण
36. एम. जी. जोशी समिति (1994)	दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश सम्बन्धी दिशा निर्देश
37. राकेश मोहन समिति (1995)	आधारिक संरचना वित्तीयन
38. ज्ञान प्रकाश समिति (1994)	चीनी घोटाला
39. मालेगाम समिति (1995)	प्राथमिक पूँजी बाजार
40. सोधानी समिति (1995)	विदेशी मुद्रा बाजार
41. के. एन. काबरा समिति	फ्यूचर ट्रेडिंग
42. पिण्टो समिति (1997)	नौवहन उद्योग
43. चंद्रात्रे समिति (1997)	शेयर व प्रतिभूतियों की स्टॉक एक्सचेंजों में डीलिस्टिंग
44. यू. के. शर्मा समिति (1998)	नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख
45. अजीत कुमार समिति (1997)	सेना के वेतनों की विसंगतियाँ
46. सी.बी. भावे समिति (1997)	कम्पनियों द्वारा सूचनाएं प्रस्तुत करना
47. धानुका समिति	प्रतिभूति बाजार से सम्बन्धित नियम
48. दवे समिति (2000)	असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश
49. चक्रवर्ती कमेटी (1985)	मौद्रिक के कार्यों की समीक्षा
50. ओ. पी. सोधानी विशेषज्ञ दल (1995)	विदेशी विनिमय बाजार का विकास
51. एस.एस. तारापोरे समिति (1997)	पूँजी खाते की परिवर्तनशीलता
52. पी.सी. अलेक्जेण्डर समिति (1978)	आयात–निर्यात नीतियों का उदारीकरण
53. महाजन समिति (मार्च 1997)	चीनी उद्योग
54. आर. वी. गुप्ता समिति (दिसम्बर 1997)	कृषि साख
55. तारापोर समिति (जुलाई 2001)	यू.टी.आई. के शेयर सौदों की जाँच
56. माशेलकर समिति (जनवरी 2002)	ऑटो फ्यूल नीति
माशलेकर समिति (अगस्त 2003 में रिपोर्ट)	नकली दवाओं का उत्पादन
57. एस. एन. खान समिति (1998)	वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की भूमिका में समन्वय
58. एन.एस. वर्मा समिति (1999)	वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना
59. पार्थ सारथी शोम समिति	कर नीति
60. एन. के. सिंह समिति	कर नीति की समिक्षा
61. वाई. वी. रेड्डी समिति (अक्टूबर 2001)	आयकर छूटों की समीक्षा
62. भूरेलाल समिति	मोटर वाहन करों में वृद्धि
63. सप्तऋषि समिति (जुलाई 2002)	स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु
64. अभिजीत सेन समिति (जुलाई 2002)	दीर्घकालीन अनाज नीति
65. एन. आर. नारायण मूर्ति समिति (2003)	कार्पोरेट गवर्नेंस
66. एन. के सिंह समिति	विद्युत् क्षेत्र में सुधार
67. सुशील कुमार समिति	बीटी कपास की खेती की समीक्षा
68. वी. एस. व्यास समिति (दिसम्बर 2003)	कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार
69. विजय केलकर समिति (मार्च 2004)	फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेन्ट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा
70. लाहिड़ी समिति (2005)	खाद्य तेलों के मूल्यों पर प्रशुल्क संरचना सम्बन्धी सिफारिश हेतु
71. सच्चर समिति (2005)	मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन
72. नायर कार्यदल (2006)	पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुझाव देने हेतु
73. रंगराजन समिति (2006)	पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के सम्बन्ध में सिफारिशें देने हेतु
74. मालेगाम समिति (2006)	लेखा मानकों पर सुझाव हेतु
75. शंगलू समिति (2006)	सरदार सरोवर बाँध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु
76. पाठक आयोग (2006)	UNO के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जाँच हेतु
77. मिस्त्री समिति (2007)	वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव
78. दीपक पारिख समिति (2007)	आधारिक संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव देने हेतु